इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1946 ई. में संवैधानिक सभा का निर्माण हुआ । इसके साथ ही प्रांतीय सभाओं के चुनाव भी हुए। संवैधानिक सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा चुने गये। प्रत्येक प्रांत और राजा शाही राज (Princely State) को या राज्य के समूहों को सीटें प्रदान करने के लिए 1946 ई. में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति हुई। इसके अनुसार, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आने वाले प्रांत या क्षेत्रों ने 292 सदस्यों और सभी प्रिंसले राज्यों ने मिलकर 93 सदस्यों का चयन किया। इस योजना के अनुसार इस बात की गारंटी दी गयी कि हर प्रांत की सीटों पर तीन मुख्य समुदाय जैसे हिन्दु, मुसलमान, सिक्ख और अन्य वर्ग के सदस्यों का चुनाव वहाँ की जनसंख्या के आधार पर होगा। परिषद् ने इस बात को भी निश्चित किया कि सभा में 26 सदस्य अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करेंगे। जब प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुये तो प्रिंसले राज्यों के प्रतिनिधि परामर्श के द्वारा चुने गये। चयनित 217 सदस्यों में से केवल 9 महिलाएँ थीं। 69% सीटें प्राप्त करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। मुस्लिम लीग की अधिकांश सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित थी। शुरुआत में, संवैधानिक सभा में, ब्रिटिश भारत के सभी भागों के सदस्य थे।

चित्र *15.1*

किंतु जब 14 अगस्त 1947 ई. में देश का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो देश बने तो पाकिस्तान के सदस्यों ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का निर्माण किया। संविधान सभा का चुनाव सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के आधार पर न होकर अप्रत्यक्ष रूप से था। इसीलिए यह समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। केवल 10% लोग ही प्रांतीय चुनावों में मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। वास्तव में प्रिंसले राज्यों के सदस्यों का चुनाव नहीं होता था बल्कि वे तो प्रिंसले राज्यों के परामर्श के द्वारा चयनित होते थे। जनता में व्याप्त गहरे तनाव और स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में उत्पन्न तीव्र राजनैतिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर इस प्रकार का निर्णय लिया गया था। राजा शाही राज, भारतीय संघ का भाग नहीं बनना चाहते थे और वे स्वतंत्र राजवंशों के समान ही रहना चाहते थे। इसीकारण उनके प्रतिनिधियों को सभा में भाग लेने के लिए कहा गया। शुरू में मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया लेकिन बाद में उन्होंने इसमें भाग लेना आरंभ किया।

चित्र15.2 : चित्र में दिये गये समानता और न्याय के विचार पर चर्चा कीजिए

संविधान सभा के पास सख्त प्रतिनिधित्व न होने पर भी, उसने

सभी प्रकार के विचारों को ध्यान में रखा और अपने कार्यों का व्यापक प्रचार किया ताकि लोग पत्राचार, समाचार पत्र या अन्य तरीकों से अपने विचार उस तक पहुँचा सकें।

13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरु ने संविधान सभा में यह महत्वपूर्ण कथन प्रस्तुत किया था:

''----भारत का भविष्य जो हमने तैयार किया है वह किसी एक समूह, वर्ग, या प्रांत तक सीमित नहीं है बल्कि यह भारत के चार सौ करोड़ लोगों के लिए है-- यह हमारी जिम्मेदारी है और हमें ध्यान में रखना है कि - हम केवल किसी एक दल या समूह के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि हमें पूरे भारत को एक रूप में देखना है और भारत को बनाने वाले चार सौ करोड़ लोगों के कल्याण के बारे में सोचना है। -----मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार अपने 'स्वार्थ' और पार्टी के झगड़ों से ऊपर उठें और हमारे सामने खड़ी समस्याओं के बारे में विस्तृत, अति सहनशील और प्रभावकारी तरीके से सोचे ताकि हम जो बनायें वह भारत के लिए मूल्यवान हो और सारा विश्व यह पहचान सकें कि हमने कार्य किया है - और इस उच्च साहसिक कार्य में हमें ऐसा ही करना है।''

डॉ. बी.आर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) का गठन किया गया था। इस समिति का कार्य सभी के दृष्टिकोणों के आधार पर एक अंतिम प्रारूप तैयार करना था। संविधान के विविध महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से चर्चा की गई और सभा ने इन पहलुओं पर विस्तृत निर्देश भी दिये। अंतिम प्रारूप संविधान सभा (Constituent assembly)के सामने चर्चा और अनुमोदन के लिए रखा गया। 26 नवंबर 1949 ई.में संवैधानिक सभा द्वारा, संविधान को अपना लिया गया और 26 जनवरी 1950 में यह लागू भी हो गया। नीचे दिये गये खण्ड में हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझने के लिए संवैधानिक सभा में हुए कुछ महत्वपूर्ण वाद-विवादों (Debate) के बारे में पढ़ेंगे।

- भारत के संविधान का आरंभ इस कथन से होता है, ''हम भारत के लोग.....'' भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला यह कथन क्या न्यायप्रद है?
- आपके विचार में क्या भारत के सभी लोग पूरे देश के लिए संविधान के निर्माण में भाग ले सकते हैं? क्या सभी लोगों को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए था या केवल कुछ बुद्धिमान लोगों पर ही इसे छोड़ देना चाहिए था?
- यदि पूरे विद्यालय के लिए एक संविधान बनाना हो तो उसमें किन-किन का समावेश किया जाना चाहिए और कैसे?

SCERT TELANGANA

संवैधानिक सभा के वाद-विवादों (Debates) का पठन (Reading Constituent Assembly Debates)

बी.आर.अंबेडकर ने 1948 ई.में संविधान का प्रारूप संवैधानिक सभा में प्रस्तुत किया । उनके भाषण के कुछ अंश पढ़िए। ये अंश ''भारत की संवैधानिक सभा की कार्यवाही'' में रिकार्ड है। (भाषण के कुछ भागों को छोटा कर दिया गया है और उन्हें-----से चिह्नित किया गया है।

डॉ.अंबेडकर उस प्रक्रिया से आरंभ करते हैं जिसके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। क्योंकि सभा का चयन सार्वभौमिक मताधिकार से नहीं हुआ था इसीलिए साधारण जनता और सदस्यों की अधिकतम सहभागिता को निश्चित करने के लिए अमल में लाये गये कुछ चरणों को देखिए।

गुरुवार, 4 नवंबर 1948 संविधान का प्रारूप

माननीय डॉ.बी.आर.अंबेडकर..........: श्रीमान राष्ट्रपति जी, प्रारूप समिति द्वारा बनाये गये प्रारूप संविधान को मैं प्रस्तुत करता हूँ और चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाय।

संवैधानिक सभा ने अपने द्वारा नियुक्त की गयी विभिन्न समितियों जैसेः- संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संवैधानिक समिति और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों जनजाति क्षेत्रों के लिए परामर्शदायी समिति आदि से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, निर्णय लिया और प्रारूप समिति को संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा था। संवैधानिक सभा ने ये भी निर्देश दिये थे कि भारत के सरकारी अधिनियम 1935 में दिये गये निश्चित मुद्दों के प्रावधानों का अनुकरण किया जाय......मैं आशा करता हूँ कि प्रारूप समिति ने उसको दिये गये निर्देशों का वफादारी से पालन किया है।

प्रारूप संविधान....एक शक्तिशाली दस्तावेज है। इसमें 395 धाराएँ और 8 सूचियाँ है। किसी भी देश का संविधान प्रारूप संविधान के समान स्थूल नहीं था।

प्रारूप संविधान को आठ महीनों तक जनता के समक्ष रखा गया था। इस दीर्घावधि के दौरान मित्रों, आलोचकों और परामर्शदाताओं को इसमें निहित प्रावधानों पर अपनी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति का पर्याप्त समय मिला।

अब हम यह देखेंगे कि किस प्रकार हमारे संविधान ने राजनैतिक संगठनों से संबंधित अन्य देशों के

- स्वतंत्रता के पश्चात लगभग ____ दिनों के बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई।
- सभा ने सबसे पहले विशिष्ट मुद्दों के लिए____ , ____ , और ____ विशेष समितियों की नियुक्ति की।
- इन समितियों की रिपोर्टों पर चर्चा ____ द्वारा की गयी और फिर उसी के द्वारा निर्णय लिया गया ।
- डॉ. अंबेडकर की अध्यक्षता में ____ समिति द्वारा इन निर्णयों को निगमित करना था।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये ____ के प्रावधानों के आधार पर भी प्रारूप तैयार किया गया था।
- इसे जनता के समक्ष ____ महीनों के लिए रखा गया था ताकि वे इसकी आलोचना कर सके और इस पर अपने सुझाव दे सकें।
- प्रारूप संविधान में ____ धाराएँ और____ सूचियाँ थी।

SCERT TELANGANA

अनुभवों को अपनाया है। अध्यक्ष, डॉ.अंबेडकर ने अन्य देशों के संविधानों से अपनायी गयी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है।

इसे पढ़ते समय, प्रारुप में दिये गये संसदीय सरकार की संस्थागत संरचना को पहचानने का प्रयत्न कीजिए। स्मरण रखें कि यह प्रस्तुतीकरण स्वतंत्रता प्राप्ति के एक वर्ष बाद तैयार किया गया था।

चित्र 15.4:डॉ बी.आर.अंबेडकर

संसदीय शासन प्रणालीः (Parliamentary System)

''यदि संवैधानिक क़ानून को पढ़ने वाले छात्र के हाथ में संविधान की प्रति रखी जायेगी तो वह दो प्रश्न अवश्य पूछेगा। पहला प्रश्न होगा - संविधान में सरकार के किस रूप को रखा गया है। दूसरा प्रश्न होगा - संविधान का रूप क्या है?......मैं पहले प्रश्न से आरंभ करता हूँ।

प्रारूप समिति में भारतीय संघ के शिखर पर एक कार्यवाहक को रखा गया है जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा गया है। इस कार्यवाहक की उपाधि हमें संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति की याद दिलाती है। इस नाम के अतिरिक्त अमेरिका में प्रचलित सरकार के रूप और प्रारूप संविधान द्वारा प्रस्तावित सरकार के रूप के बीच कोई भी बात समान नहीं थी। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली (Presidential System) थी। प्रारूप संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System) को प्रस्तावित किया था। मौलिक रूप से दोनों में बहुत अंतर हैं।

अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान अध्यक्ष होता है। सारी प्रशासनात्मक शक्तियाँ उसे दी जाती हैं। प्रारूप संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति अंग्रेजी संविधान में दी गयी राजा की स्थिति के समान थी। वह कार्यपालिका का नहीं बल्कि राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र पर शासन नहीं कर सकता है। वह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन में उसका स्थान एक औपचारिक उपकरण या मुहर के समान है जिसके द्वारा देश के निर्णय लिये जा सकते हैं। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के अधीन विभिन्न विभागों के कार्यों का संचालन करने वाले प्रभारी सचिव होते हैं। इसीप्रकार भारतीय संघ के राष्ट्रपति के अधीन भी प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्य संचालन करने वाले प्रभारी मंत्री होते हैं। फिर से यहाँ पर दोनों के बीच मौलिक अंतर है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सचिवों द्वारा दिये परामर्शों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं है। भारतीय संघ का राष्ट्रपति साधारणतः अपने मंत्रियों द्वारा दिये गये परामर्शों को सुनने के लिए बाध्य होता है। वह न तो अपने मंत्रियों के परामर्श के बिना कुछ काम कर सकता है और न ही उनके

- भारतीय राष्ट्रपति को दी गयी शक्तियाँ-------के ----------से अधिक के---के समान है।
- संवैधानिक सभा ने कल्पित किया था कि भारत के राष्ट्रपति को---के परामर्श का अनुकरण करना चाहिए।
- ब्रिटिश राजा और भारत के राष्ट्रपति की स्थितियों के बीच क्या अंतर थे? अपने विचार बताइए।

परामर्शों का विरोध कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति अपने सचिवों को कभी भी पदच्युत कर सकता है। जब तक उसके मंत्रियों का संसद में बहुमत होता है तब तक भारतीय संघ के राष्ट्रपति को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है.....''

संघवाद (Federalism)

'' संविधान के दो प्रधान रूप हैं - एक को एकात्मक और दूसरे को संघात्मक कहते हैं। एकात्मक संविधान के दो अनिवार्य लक्षण है:-1) केन्द्रीय-शासन व्यवस्था (Central polity) की सर्वोच्चता (पौलिटी (polity) का अर्थ है - शासन व्यवस्था या राजनैतिक संगठन) और 2) सहायक प्रभुत्व संपन्न शासन व्यवस्था की अनुपस्थिति। इसके विपरीत संघात्मक संविधान के लक्षण है: 1) केन्द्रीय शासन व्यवस्था और सहायक शासन व्यवस्थाओं का एक साथ अभ्युदय, और 2) हर एक व्यक्ति का उसे सौंपे गये क्षेत्र का सर्व-सत्ताधारी होना है। दूसरे शब्दों में संघात्मक का अर्थ है - दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना। (शासन की दोहरी व्यवस्था - केन्द्र और राज्य)।

प्रारूप संविधान एक संघात्मक संविधान है, जिसमें दोहरी शासन व्यवस्था (dual polity) का समावेश है। प्रस्तावित संविधान के अंतर्गत दोहरी शासन व्यवस्था - केन्द्र में संघ और राज्यों का मेल है। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों को जो पृथक -पृथक सर्वोच्च शक्तियाँ दी गयी हैं, उन्हें उनका प्रयोग अपने-अपने क्षेत्रों में एक परिधि के अंतर्गत रहकर करना है।

यह दोहरी शासन व्यवस्था अमेरिकी संविधान से मिलती जुलती है। अमेरिका में भी दोहरी शासन व्यवस्था है। इनमें से एक संघात्मक सरकार कहलाती है तथा अन्य राज्य हैं जो क्रमशः प्रारूप संविधान के संघ सरकार और राज्य सरकार के अनुरूप है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत संघात्मक सरकार केवल राज्यों का संघ या राज्यों की प्रशासनात्मक इकाइयाँ या संघात्मक सरकार की एजेंसियाँ नहीं है। इसी प्रकार प्रारूप संविधान में दिया गया भारतीय संविधान भी राज्यों का संघ, राज्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ या संघीय सरकार की एजेंसियाँ नहीं है। यहाँ तक भारतीय और अमेरिकी संविधान के बीच की समानताएँ समाप्त हो जाती हैं। वह विषमताएँ जो दोनों को अलग करती है वे समानताओं से अधिक मौलिक और प्रकाशमय हैं....

प्रस्तावित भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता (single citizenship) के साथ दोहरी शासन व्यवस्था है। पूरे भारत के लिए

- संघात्मक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक से अधिक सरकारें होती हैं और भारत में यह _______ और_______ स्तरों पर है। आप _______राज्य से संबंध रखते हैं जबकि आपका संबंध _______ देश से हैं।
- किस प्रकार का संविधान केन्द्रीय स्तर पर सरकार को अधिक शक्तियाँ प्रदान करता हैं?
- किस प्रकार का संविधान केन्द्र और राज्य सरकारों को निश्चित शक्तियाँ प्रदान करता है।
- किस प्रकार भारतीय राज्य ''प्रशासनिक या केंद्र सरकार की एजेंसियाँ या इकाइयाँ नहीं हैं?''
- भारतीय संविधान के निर्माताओं ने दोहरी नागरिकता (भारत की और राज्य की) के उपाय को क्यों ठुकरा दिया होगा?

SCERT TELANGANA

एक ही नागरिकता है, वह है भारतीय नागरिकता। राज्य की कोई नागरिकता नहीं है। प्रत्येक भारतीय को, चाहे वह किसी भी राज्य में रहता है, नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त है।...''

''प्रस्तावित भारतीय संघ की एक अन्य विशेषता जो उसे दूसरे संघों से अलग करती है। दोहरी शासन व्यवस्था के होने से संघ विभाजित प्राधिकारिता पर आधारित है जिसमें दोनों में से हर एक शासन व्यवस्था की अपनी कार्यपालिका, विधिपालिका और न्यायपालिका है जो क़ानून में प्रशासन में और न्यायिक सुरक्षा में विविधिता को बनाये रखने के लिए बाध्य है''। एक निश्चित बिंदु तक यह विविधता कुछ मायने नहीं रखती है। इसका उपयोग सरकार द्वारा स्थानीय परिस्थितियों में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए।

किंतु वही विविधता जब निश्चित बिंदु के ऊपर पहुँचती है तो अव्यवस्था पैदा करती है और इस विविधता ने कई संघ राज्यों में अव्यवस्था उत्पन्न की है। यदि हमारे संघ में बीस राज्य हैं तो विवाह, तलाक, संपत्ति का बँटवारा, पारिवारिक संबंधों, समझौतों, न्यायिक क्षतिपूर्ति अपराध, भार और मापन बिल और चेक, बैंकिंग और वाणिज्य, न्याय प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों और प्रशासन के मानदंडों और तरीकों से संबंधित बीस कानूनों की कल्पना करनी होगी। ऐसे कार्य राज्य को ही कमज़ोर नहीं बनाते बल्कि ऐसे नागरिकों के लिए भी असहनीय हो जाते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य केवल यह जानने के लिए घूमते हैं कि एक राज्य में जो क़ानून के अनुसार सही है वह दूसरे राज्य में सही है या नहीं। प्रारूप संविधान ऐसे साधनों और तरीकों को बनाता था जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार के साथ-साथ देश की एकता को बनाये रखने के लिए आवश्यक मूलभूत मुद्दों में एकरूपता का भी होना आवश्यक था। प्रारूप संविधान ने तीन साधनों को अपनाया था -

1) इकहरी न्यायपालिका
2) एकरूपता - मौलिक क़ानून में, दीवानी और फौज़दारी, तथा
3) महत्वपूर्ण पदों पर सभी के लिए समान अखिल भारतीय लोक सेवा

जैसे मैंने बताया है दोहरी न्यायपालिका, दोहरी वैध-संहिता, और दोहरी लोक सेवाएँ, संघ में निहित दोहरी शासन व्यवस्था के तार्किक परिणाम हैं। सं.रा.अ.में संघ न्यायपालिका और राज्य न्यायपालिका दोनों पृथक और एक दूसरे से स्वतंत्र है। भारतीय संघ में दोहरी शासन व्यवस्था होने पर भी दोहरी न्यायपालिका नहीं है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों मिलकर एकीकृत न्यायपालिका की रचना करते हैं तथा सभी प्रकार के संवैधानिक क़ानून, नागरिक क़ानून और फौज़दारी क़ानूनों के अंतर्गत आने वाले केसों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर उनका उपचार करते हैं। सभी उपचारात्मक प्रक्रियाओं से सभी प्रकार की विषमताओं को हटाने के लिए यह किया जाता है। कनाडा अकेला देश है जो इस व्यवस्था के निकट या समानांतर है। आस्ट्रेलिया की व्यवस्था अनुमानित व्यवस्था है।

(व्याख्या : कुछ संघात्मक देशों में सर्वोच्च न्यायलय, राज्य से संबंधित क़ानून के मामलों में राज्य के फैसलों के विरूद्ध नहीं जा सकता है। किंतु भारत में सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी न्यायालय के विरूद्ध की गयी अपीलों को सुन सकता है और अपना फैसला सुना सकता है।)

SCERT TELANGANA

Fig 15.5 : 1950 के गणतंत्र दिवस का हवाई चित्र

सामाजिक और लोक जीवन के मूल में व्याप्त विभिन्नताओं को कानून द्वारा निकाल देने की कोशिश की गयी है। दीवानी और फौज़दारी कानूनों की महान-संहिताओं जैसे :- नागरिक प्रक्रिया संहिता (code) दण्ड संहिता (penal code) फौज़दारी प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, संपत्ति स्थानांतरण अधि-नियम, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित क़ानूनों को या तो समवर्ती सूची (concurrent list) या केंद्रीय सूची (central list) में रखा गया है ताकि संघ व्यवस्था को किसी प्रकार की हानि पहुँचाये बिना अनिवार्य एकरूपता को सुरक्षित रखा जा सके।

(व्याख्या : वे अध्याय जिन पर क़ानून बनाये जा सकते हैं, उन्हें केन्द्रीय सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। केन्द्रीय सूची पर केवल केन्द्र सरकार और राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार ही क़ानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची पर केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। राज्य द्वारा निर्मित क़ानून में यदि कभी विरोधाभास होता है तब केन्द्रीय क़ानून विधेयक को ही वैध माना जाता है।)

संघात्मक व्यवस्था द्वारा अपनायी गयी दोहरी शासन व्यवस्था, जैसे मैंने कहा है यह सभी संघों ने दोहरी सेवाओं द्वारा अपनाया है। सभी संघों में संघ लोक सेवा (Federal civil service) और राज्य लोक सेवा (state civil service) है। भारतीय संघ में दोहरी शासन-व्यवस्था होने से दोहरी सेवाएँ हैं।

किंतु उसमें एक अपवाद है। हर देश में प्रशासन के स्तर की देखरेख के लिए, सामाजिक महत्व वाले कुछ निश्चित पद, प्रशासनिक व्यवस्था में होते हैं। प्रशासन की इतनी बड़ी और जटिल प्रक्रिया में ऐसे पदों की पहचान करना कठिन होता है। उसमें कोई शंका नहीं है कि प्रशासन का स्तर उन लोक सेवकों की क्षमताओं पर निर्भर करता है जो इन सामरिक महत्व वाले पदों पर नियुक्त होते हैं। सौभाग्यवश हमने यह प्रणाली अतीत की प्रशासन व्यवस्था से अपनायी है, जो पूरे देश के लिए एक है और हम जानते हैं कि ये सामरिक महत्व वाले पद क्या है। संविधान यह सुविधा देता है कि राज्यों को उनकी अपनी लोक सेवाओं के निर्माण के अधिकार से बेदखल किये बिना, अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य योग्यताओं,समान वेतन के आधार पर एक अखिल भारतीय सेवा परीक्षा हो, जिसमें इन्हीं में से एक सदस्य को इन

सामरिक महत्व वाले पद पर पूरे संघ के लिये नियुक्त किया जाए। (अंबेडकर यहाँ पर लोक सेवा आयोग...(IAS,IPS) के वारे में बता रहे हैं। इन लोक सेवाओं के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अति महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।)

- क्या आप भारत के संघवाद और अमेरिका के संघवाद के बीच अंतर बता सकते हैं?
- क्या भारतीय संविधान राज्यों को उनके अपने लोक सेवकों (अधिकारियों) की नियुक्ति की अनुमति देता है?
- क्या राज्य के सभी अधिकारी राज्य की लोक सेवाओं से नियुक्त होते हैं?
- अमेरिका में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की पृथक-पृथक न्यायपालिकाएँ है। भारत में केंद्र और राज्यों के लिए क्या एक ही न्यायपालिका है?

संवैधानिक सभा के वाद-विवादों में आलोचनाओं के उदाहरण

प्रारूप संविधान की बहुत आलोचनाएँ हुई। जैसे:- मौलाना हसरत नोहानी ने कहा कि यह केवल 1935 अधिनियम की प्रति है। यह याद दिलाया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तब राजनैतिक दलों जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने 1935 के अधिनियम का विरोध किया था और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की माँग की थी। समाजवादी दामोदर स्वरूप सेठ ने कहा कि प्रारूप सोवियत संघ जैसे प्रचलित संविधानों को नहीं अपनाता है और भारतीय संदर्भ में यह गाँवों की केंद्रीयता की उपेक्षा करता है। दामोदर स्वरूप ने यह भी कहा कि संवैधानिक सभा के सदस्य व्यस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुने गये हैं। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं - दामोदर स्वरूप सेठ : ''महोदय - हमारा भारतीय गणराज्य एक संघ होना चाहिए-छोटे स्वायत्त गणराज्यों का संघ - इस तरीके से जो संघ बनेगा, जिसकी नींव डॉ.अंबेडकर ने डाली है, उसमें केन्द्रीकरण पर अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए। केंद्रीकरण एक अच्छी बात है और समय के अनुसार उपयोगी भी है,किंतु हमें महात्मा गाँधी की इस बात को याद रखना है कि शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण, शक्तियों को सर्वाधिकारवादी (Totalitarian) बनाता है और उसे फासीवाद के आदर्शों की ओर अग्रसर करता है। इसे सर्वाधिकारवाद और फासीवाद से बचाने का एक तरीका यह है कि बहुत हद तक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाय। हमें हृदयों को मिलाकर केन्द्रीकरण को लाना होगा क्योंकि इसका मिलान विश्व में कहीं भी नहीं हो सकता है। क़ानून के द्वारा शक्तियों के केन्द्रीकरण का स्वाभाविक परिणाम होगा-धीरे-धीरे फ़ाज़ीवाद की ओर बढ़ना....वह फ़ाज़ीवाद जिसका हमारे देश ने विरोध किया था और अब भी हम उसका प्रबल विरोध करने का दावा करते हैं।

- प्रारूप समिति और दामोदर स्वरूप सेठ के विचारों में क्या समानताएँ और विषमताएँ थीं?
- संविधान के 42 वें संशोधन के बाद गाँवों को किस प्रकार की स्वायत्तता उपलब्ध करवायी गयी है?

SCERT TELANGANA

मौलिक अधिकारों पर वाद-विवाद के उदाहरण

समानता के अधिकार के संदर्भ में यह तय किया गया था कि ''अस्पृश्यता'' (untouchability) पर वैधानिक रूप से रोक लगा दी जाए। विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने के लिए चलिए हम मौलिक अधिकारों पर हुई चर्चाओं के कुछ अंश पढ़ेंगे।

मंगलवार, 29 अप्रैल, 1947

राष्ट्रपति महोदय (माननीय डॉ.राजेन्द्र प्रसाद)

श्रीमान प्रोमाता रंजन ठाकुर : श्रीमान.....मैं जिस बिंदु के बारे में बताना चाहता हूँ, वह अभिलेख 6 में 'अस्पृश्यता' से संबंधित है, जिसके बारे में कहा गया है कि - ''अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और यदि इसके आधार पर किसी प्रकार की अक्षमता को दर्शाया जाता है तो उसे अपराध माना जायेगा।''

मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि - जाति प्रथा की समाप्ति के बिना 'अस्पृश्यता' को कैसे समाप्त किया जा सकता है। अस्पृश्यता, यह कुछ नहीं है बल्कि जाति प्रथा जैसी बीमारी का एक लक्षण है....जब तक हम सब मिलकर जाति प्रथा का कुछ नहीं कर सकते तब तक बाह्यवर्तीय अस्पृश्यता से जूझने का कोई उपयोग नहीं है।

एस.सी.बेनर्जी : श्रीमान राष्ट्रपति, वास्तव में 'अस्पृश्यता' शब्द में स्पष्टता की आवश्यकता है। पिछले 25 वर्षों से हम इस शब्द से परिचित हैं, फिर भी अब तक हमें असमंजस है कि आखिर इसका आशय क्या है। कभी इसके अर्थ का उपयोग पानी का गिलास लेने के लिए, कभी मंदिरों में 'हरिजनों ' के प्रवेश के लिए, कभी अंतर्जातीय रात्रि भोज के लिए तो कभी अंतर्जातीय विवाह के लिए किया जाता है। महात्मा गाँधी जो 'अस्पृश्यता' के मुख्य अर्थ प्रकाशकों में से थे, उन्होंने इसका उपयोग विभिन्न उपलक्ष्यों में, विभिन्न तरीकों से तथा विभिन्न अर्थों में किया है। जब हम 'अस्पृश्यता' शब्द का उपयोग करेंगे तो हमें इसके बारे में हमारे मस्तिष्क में स्पष्टता होनी चाहिए कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है? इस शब्द का वास्तविक भाव क्या है?

मैं सोचता हूँ कि हमें अस्पृश्यता और जातीय भेद के बीच कोई अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे श्रीमान, ठाकुर ने बताया है कि अस्पृश्यता केवल एक लक्षण है, मूल कारण तो जातीय भेद है और जब तक मूल कारण को समाप्त नहीं किया जाता है तब तक अस्पृश्यता का किसी न किसी रूप में उदय होता रहेगा और जब हम स्वतंत्र भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यह आशा करते हैं कि सभी को समान सामाजिक अधिकार प्राप्त हों।

श्रीमान रोहिणी कुमार चौधरी :अस्पृश्यता को परिभाषित करने के लिए यह स्पष्ट किया जा सकता है कि : ''अस्पृश्यता का अर्थ है - धर्म, जाति या जीविका के लिए नियमित व्यवस्थाओं के आधार पर किये गये अंतरों संबंधी कोई कार्य।

श्रीमान के.एम.मुंशी : महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ। यदि दी गयी परिभाषा को अपनाया जाता है तो वह है कि - जन्मस्थान, जाति यहाँ तक कि लिंग के आधार पर किये जाने वाले अंतर ही अस्पृश्यता है।

LATE CITY EDITION

The Statesman

Incorporating and directly descended from THE FRIEND OF INDIA —Founded 1817

PUBLISHED SIMULTANEOUSLY FROM CALCUTTA AND DELHI

REG. No. C193 | CALCUTTA, THURSDAY, JANUARY 26, 1950 | Price, including 28 Page Supplement, TWO ANNAS.

BEACON STANDARD METAL WINDOWS AND FACTORY SASHES — MARTIN BURN LTD. CALCUTTA

ROYAL EXCHANGE ASSURANCE — FIRE, MARINE, ACCIDENT.

INDIA EMERGES AS REPUBLIC TODAY

Dr Soekarno, President of the United States of Indonesia, was received by Pandit Nehru and Mr Rajagopalachari when he arrived at the Willingdon aerodrome, New Delhi, on Tuesday to take part in the Indian Republic Day celebrations.—Statesman.

Of Significance To People, Says Nehru

CALL FOR UNITY AND TOLERANCE

Offer Of Friendship To All Nations

NEW DELHI, JAN 26.—INDIA EMERGES TODAY AS A "SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC" UNDER THE NEW CONSTITUTION.

THE proclamation of India as a Republic will take place at a ceremony at 10-15 a.m. in the Durbar Hall of Government House.

"Undoubtedly, Jan 26, 1950, is a day of high significance for India and the Indian people," declared Pandit Nehru, Prime Minister, in a broadcast to the people last night.

Calling upon them "to found our republican freedom on the basic factors on which Gandhiji laid stress throughout his career—high character, integrity of mind and purpose, a spirit of tolerance and co-operation and hard work—Pandit Nehru asked them to "shed fear and hatred and think always of the betterment of the millions of our people."

Pandit Nehru said: "Events crowd in upon us and because of this quick succession we are apt to miss their significance. Some of us give messages on each occasion exhorting people to great endeavour and even these messages become stale from repetition.

"Yet, undoubtedly, Jan 26, 1950, is a day of high significance for India and the Indian people. It does mean the consummation of one important phase of our national struggle. That journey is over, to give place to another and perhaps more arduous journey. A pledge is fulfilled and every fulfilment of a pledge gives satisfaction and strength for future endeavour.

"There is a peculiar appropriateness about this Jan 26, for this day links up the past with the present, and this present is seen to grow out of that past. Twenty years ago we took the first pledge of independence. During these 20 years we have known struggle and conflict and failure and

(Continued on page 7 col. 1).

(Editorial Comment on Page 6).

TODAY'S PROGRAMME IN CALCUTTA

Proclamation As Republic

Ceremony This Morning

From Our Special Representative

NEW DELHI, Jan 25.—India will be proclaimed a Republic tomorrow in the Durbar Hall of Government House, where a long succession of Viceroys and the last Governor-General assumed their offices.

This ceremony is timed for 10-15 a.m. and will be followed immediately by the installation of the President, Dr Rajendra Prasad, who will arrive at his new residence a few minutes earlier.

Ceremonial formalities at Government House include the reception of the President by the Governor-General, to be followed by their joint entry into the Durbar Hall in a procession, which will be headed by aides-de-camp.

After the proclamation of the Republic and the swearing-in of the President, the Prime Minister, Cabinet Ministers, the Chief Justice and Judges of the Supreme Court, the Auditor-General and the Speaker of Parliament will take their oath in an ante-room.

AT IRWIN STADIUM

Escorted by his Bodyguard, the President will leave Government House at 2-30 p.m. and arrive an hour later at Irwin Stadium, where he will be received by the Defence Minister and then introduced to the three Service chiefs.

SOEKARNO ADDRESSES INDIAN M.P.s

CONGRATULATIONS ON BIRTH OF NEW REPUBLIC

NEW DELHI, Jan 25.—The President of the Republic of Indonesia, Dr Soekarno, addressing the members of the Indian Parliament this evening, conveyed his congratulations on India being declared a Republic.

Communists Expel British Managers

Reported Incidents Near Tavoy

BURMA OILFIELDS WORKERS' CLAIM

Gunmen Kill Two Policemen

Incident In Howrah Village

Pandit Nehru signs the new Constitution, winding up the Constituent Assembly in New Delhi.—Statesman.

PROVINCIAL BORDERS TO BE "RATIONALIZED"

NEW DELHI, Jan 25.—Completion of the "rationalization" of the borders of the provinces and States Unions by the transfer of over 1,600 enclaves on an agreed basis was announced today.

Night Curfew In Bandoeng

THE REPUBLIC OF INDIA

26th January 1950

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY DO HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

The preamble to the Constitution of the Republic of India.

2 Of Crew Killed In Plane Crash

On Way To Calcutta From Gauhati

REPUBLIC DAY HOLIDAY

The Offices of The Statesman will be closed today, and there will be no issue of the paper dated January 27.

Hallmarks of quality "REXINE" • "VYNIDE"

Years of manufacturing experience and technical research have produced "Rexine" and "Vynide"—the twin I.C.I. products—world famous in the leathercloth trade. Ideal for car and furniture upholstery, desk-top covering, book-binding and all similar applications.

They are colour fast, hardwearing, vermin-proof water-proof and washable. The only maintenance they need is an occasional cleaning with soap and warm water.

"REXINE" Nitrocellulose Coated | "VYNIDE" P.V.C. Plastic Coated Fire-Resistant

PRODUCTS OF ICI — Price, details and technical advice from IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES (INDIA) LTD. Calcutta Bombay Madras Kanpur, New Delhi Cochin Bangalore

Fig 15.6 : 26 जनवरी 1950 के समाचार पत्र की रिर्पोट। इस पृष्ठ पर क्या-क्या पढ़ सकते हैं?

- उपर्युक्त वाद-विवाद में उठाये जाने वाले भिन्न - भिन्न विचार क्या थे?
- यदि आपको वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा तो आप क्या समाधान सुझायेंगे?
- आपके विचार में क्या अपरिभाषित शब्द को संविधान से हटा दिये जाने का सुझाव सही है। अपने तर्क का कारण बताइए।
- क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संविधान को अस्पृश्यता को नहीं बल्कि जाति प्रथा के पहलुओं को समाप्त करना चाहिए। आपके विचार में यह किस प्रकार संभव है?

श्री धीरेंद्र नाथ दत्ता : महोदय, श्री रोहिणी कुमार चौधरी द्वारा सुझावित परिभाषा को अपनाया जायेगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम किंतु मुझे लगता हैं कि परिभाषा का होना तो अनिवार्य है। यहाँ बताया गया है कि किसी भी रूप में 'अस्पृश्यता' अपराध है। अपराधों पर कार्यवाही करने वाले मजिस्ट्रेटों और जजों को इस परिभाषा को देखना चाहिए, जहाँ एक मजिस्ट्रेट किसी एक विशेष कार्य को 'अस्पृश्यता' मान सकता है, वहीं दूसरा मजिस्ट्रेट किसी अन्य कार्य को अस्पृश्यता मान सकता है। ऐसा होने पर अपराधों की कार्यवाही में एकरूपता का अभाव हो जायेगा। केसों पर फैसला करना जज के लिए कठिन हो जायेगा।

यहाँ तक कि, विभिन्न क्षेत्रों में 'अस्पृश्यता' का अर्थ अलग-अलग है। बंगाल में अस्पृश्यता का अर्थ एक होता है, जबकि अन्य प्रांतों, इसका अर्थ पूरी तरह भिन्न होता है।

राष्ट्रपति महोदय,.....मैं समझता हूँ कि संघीय विधानमंडल 'अस्पृश्यता' शब्द को परिभाषित करेगा, जिसके आधार पर न्यायालय उचित दण्ड निर्धारित कर सकेंगे।

(आखिर में यह तय किया गया कि 'अस्पृश्यता' की परिभाषा को संविधान से बाहर रखा जाय और भविष्य में उचित क़ानून बनाने के लिए इसे विधिपालिका पर छोड़ दिया जाय।)

संविधान और 'सामाजिक अभियांत्रिकी' (इंजीनियरी) (Constitution and 'Social Engineering')

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस वास्तविकता को अनुभव किया था कि भारतीय समाज असमानता, अन्याय और अभाव के कष्ट से जकड़ा हुआ है तथा इसकी अर्थव्यवस्था का शोषण करने वाले उपनिवेशी नीतियों से ग्रस्त है। इसीलिए संविधान को चाहिए कि सामाजिक परिवर्तनों के साथ विकास की सुविधा भी दें। जवाहर लाल नेहरु ने कहा था कि संवैधानिक सभा इस कथन का प्रतिनिधित्व करती है-''देश आगे बढ़ने के लिए अतीत के राजनैतिक और संभावित सामाजिक संरचना के कवच को उतारकर फेंक रहा है तथा अपने लिये स्वयं एक नयी आधुनिक पोशाक का निर्माण कर रहा है।''

संविधान में सामाजिक परिवर्तनों के लिए कई सुविधाएँ थीं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को, संविधान में आरक्षण की सुविधा देना इसका सही उदारहण है। संविधान निर्माता इस बात पर विश्वास रखते थे कि इन समूहों ने युगों तक जो अन्याय भोगा है, उससे उबरने के लिए केवल समानता का अधिकार देना पर्याप्त नहीं हैं। हमें उनके मत देने के अधिकार को सही अर्थ देना चाहिए। उनकी रुचियों को बढ़ाने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की आवश्यकता है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों की रुचियों की सुरक्षा के लिए कई विशेष उपायों को उपलब्ध कराया है।

जैसे :- विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण। संविधान ने सरकार को यह सुविधा प्रदान की है कि वह जन क्षेत्र की नौकरियों को इन समूहों के लिए आरक्षित करें।

संविधान में 'राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत' भी हैं जो सरकार के सामने मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था को प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक अभियांत्रिकी (इंजीनियरी) का एक महत्वपूर्ण पहलू है - अल्पसंख्यकों के अधिकारों की समस्या। नाज़ी जर्मनी में यहूदी (Jewish) अल्पसंख्यकों के दमन का दुखदायी अनुभव संविधान निर्माताओं के दिमाग पर हावी था। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा देने का निश्चय किया ताकि वे बहुसंख्यकों के सामने स्वयं को निम्नतर अनुभव न कर सकें। धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा स्वयं के अपने शैक्षिक संस्थानों को चलाने का अधिकार इसका उदाहहण है। ऐसी संस्थाओं को सरकारी निधियों से भी धन प्राप्त होता है।

आज का संविधान (The Constitution today)

संविधान निर्माताओं को यह पता था कि समय-समय पर कानूनों में संशोधन होता हैं। इसीलिए इन लोगों ने संविधान में नियमों और धाराओं में संशोधन की सुविधा भी रखी हैं। अधिकतर, क़ानून विधानमंडलों के आधे से अधिक सदस्यों के अनुमोदन से बनाये जाते हैं। संविधान की धाराओं में संशोधन करने की पहल केवल संसद ही कर सकती है। इसके लिए उसे संसद के दोनों सदनों लोक सभा और राज्यसभा के 2/3 सदस्यों की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। कुछ धाराएँ राज्य विधानमंडल के अनुमोदन (पुष्टिकरण) से ही संशोधित हो सकती हैं। अन्य कानूनों के समान नये संशोधन विधेयक पर देश के राष्ट्रपति की स्वीकृति भी अनिवार्य है।

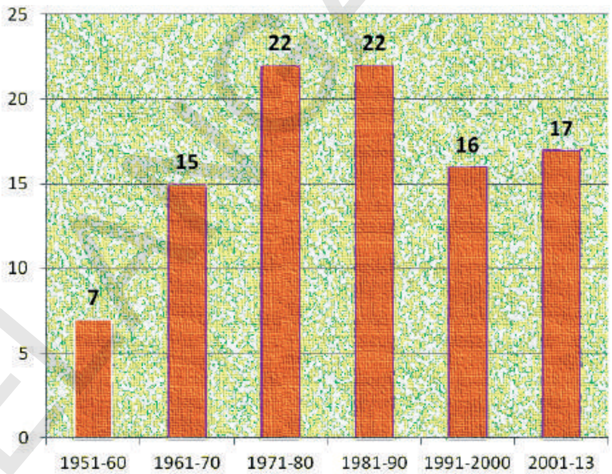

आरेख 1 26 जनवरी 1950 में संविधान अपनाये जाने से लेकर 2013 तक लगभग 99 संशोधन किये गये।

- भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं से संबंधित किन उदाहरणों और व्याख्याओं को आप पहचान सकते हैं?

1970 के दौरान संविधान में बड़े परिवर्तन किये गये। पहला बड़ा परिवर्तन था संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' जैसे दो शब्दों को जोड़ना। प्रस्तवना के कई शब्द जैसे : - 'समानता','स्वतंत्रता', 'न्याय' आदि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों पर बल देते हैं इसीलिए इन शब्दों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में किया जाने वाला दूसरा बड़ा परिवर्तन है - सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो केशवनंदा भारती केस के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ इस बात पर चर्चा की गयी कि भारतीय संविधान की कुछ निश्चित धाराएँ किसी भी स्थिति में बदली नहीं जा सकती है। उनमें से एक मौलिक अधिकार हैं। केशवनंदा भारती केस के फैसले के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि कुछ निश्चित मौलिक सिद्धांत होते हैं जिस पर देश निरंतर चलता है।

SCERT TELANGANA

आखिर ये मूलभूत सिद्धांत किससे बनते हैं? इस पर अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग विचार थे।

मुख्य शब्द

प्रारूप निर्माण समिति	संवैधानिक सभा	प्रस्तावना
समवर्ती सूची	एकात्मक और संघात्मक सिद्धांत	नागरिकता
अध्यक्षात्मक और संसदीय	संशोधन	शासन प्रणाली

अपनी सीखने की क्षमता सुधारें।

1. बेमेल पहचानिए : (AS_1)
   - भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को अपनाया।
   - भारतीय संविधान ने पहले से प्रचलित संविधान से अपनाया ।
   - निर्माण से लेकर अब तक भारतीय संविधान वैसा ही है।
   - देश में शासन के लिए भारतीय संविधान सिद्धांतों और प्रावधानों को उपलब्ध कराता है।
2. असत्य कथनों को सही कीजिए :- (AS_1)
   - संवैधानिक सभा के वाद-विवादों के दौरान सभी प्रावधानों के विचारों में एकरुपता थी।
   - संविधान निर्माताओं ने देश के निश्चित प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया था।
   - संविधान अनुच्छेदों में संशोधन करने हेतु कुछ प्रावधान उपलब्ध कराता है।
   - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की मूलभूत विशेषताओं में भी संशोधन होना चाहिए।
3. संवैधानिक सभा के वाद-विवादों में चर्चित भारतीय सरकार के एकात्मक और संघात्मक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। (AS_1)
4. किसी समय की राजनैतिक घटनाओं को संविधान किस प्रकार दर्शाता है? स्वतंत्रता संघर्ष पर आधारित पिछले अध्याय के आधार पर बताइए। (AS_1)
5. यदि सभा का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से किया जाता तो हमारे संविधान के निर्माण में क्या अंतर होते? बताइए। (AS_1)
6. भारतीय संविधानों के मूलभूत सिद्धांतों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। (AS_1)
7. संविधान ने देश की राजनैतिक संस्थानों को किस प्रकार परिभाषित और परिवर्तित किया? (AS_1)
8. संविधान द्वारा मूलभूत सिद्धांतों को उपलब्ध करवाने पर भी व्यवस्था में जनता की भागीदारी से ही सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं।क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण बताइए। (AS_1)
9. विश्व मानचित्र में निम्न स्थानों को सूचित कीजिए। (AS_5)
   1) नेपाल 2) जपान 3) दिल्ली 4) अमेरिका
10. पृष्ठ संख्या 231 में से 'स्तंभ आरेख' का परीक्षण करके निम्न प्रश्नों के समाधान लिखिए। (AS_3)
    अ) सर्वाधिक संवैधानिक-संशोधन किस वर्ष हुए?
    आ) वर्ष 1961-70 से 1971-80 में कितने अधिक संशोधन हुए है।
11. आपकी पाठशाला में ''समानता'' की भावना का किस प्रकार अमल किया जा रहा है। इस पर एक करपत्र तैयार कीजिए। (AS_6)

अध्याय 16

भारत में चुनाव प्रक्रिया
(Election Process in India)

प्रजातंत्र में चुनावों की आवश्यकता क्यों है? इस पाठ में हम चुनावों के आयोजन की व्यवस्था और प्रक्रिया, तथा इस व्यवस्था की शक्तियों और समय-समय पर इसके द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के बारे में पढ़ेंगे। हम उन प्रजातांत्रिक, सहज और निष्पक्ष तरीकों का भी विश्लेषण करेंगे जिनके आधार पर चुनाव आयोजित किये जाते हैं। हम उन सुधारों की भी चर्चा करेंगे जो प्रजातंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आज की परिस्थिति में उपयुक्त हैं।

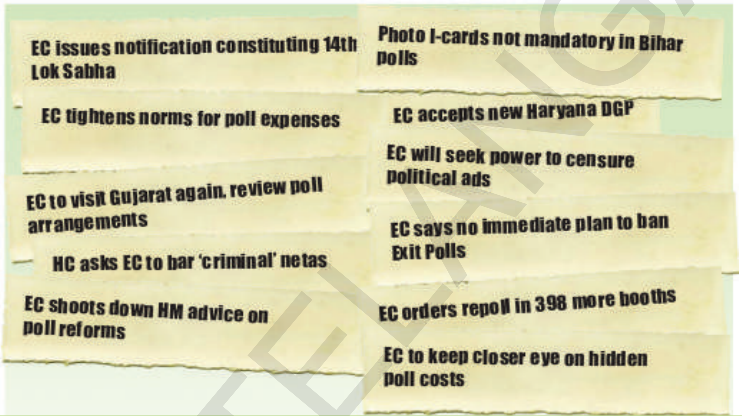
EC issues notification constituting 14th Lok Sabha
EC tightens norms for poll expenses
EC to visit Gujarat again, review poll arrangements
HC asks EC to bar 'criminal' netas
EC shoots down HM advice on poll reforms
Photo I-cards not mandatory in Bihar polls
EC accepts new Haryana DGP
EC will seek power to censure political ads
EC says no immediate plan to ban Exit Polls
EC orders repoll in 398 more booths
EC to keep closer eye on hidden poll costs

चुनावों के दौरान समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इन पंक्तियों में किनकी शक्तियाँ दर्शायी गयी हैं? मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? चर्चा कीजिए।

भारत में चुनाव प्रणाली

भारत जैसे बड़े देश के लिए जहाँ विशाल जनसंख्या है, वहाँ सभी लोगों का एकत्र होकर निर्णय लेना कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए चुनाव की आवश्यकता अनुभव हुई। भारत, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। स्वतंत्रता से, चुनावों के द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए एक शक्तिशाली आधार बनाया गया।

भारत का चुनाव आयोग हमारे देश में चुनाव आयोजित करता है। यह आयोग राजनैतिक दलों के लिए आचार संहिता (code of conduct) तैयार करता है। यह चुनावों के परिणामों की घोषणा करता है और केंद्र तथा राज्य से संबंधित प्राधिकारी को पेश करता है। इसके द्वारा, सरकार के गठन में आसानी हो गयी।

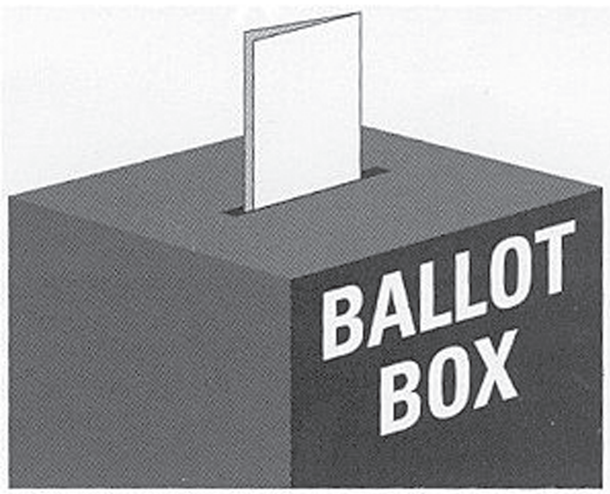

चित्र *16.1* मतपेटी

SCERT TELANGANA

भारत में चुनाव आयोग

भारत में चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। अपनी प्राधिकारिता से, यह मतदाता सूची तैयार करता है तथा लोक सभा, राज्य सभा, राज्य वैधानिक निकायों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव आयोजित करता है।

चित्र *16.2* भारत में चुनाव आयोग का कार्यालय

25 जनवरी 2010 को 60 वर्ष पूर्ण होने पर, भारतीय चुनाव आयोग ने 'हीरक जयंती' (Diamond Jubilee) मनायी और 25 जनवरी 2011 के दिन को प्रथम मतदान दिवस घोषित किया।

चुनाव कमीशन के लिए स्वायत्त दर्ज़ा

विशाल जनसंख्या के कारण भारत में चुनावों का आयोजन अत्यंत कठिन है। अंग्रेजी शासन के दौरान चुनावों में जनसंख्या के 14% लोगों को ही मतदान का अधिकार था। 1952 में, पहले साधारण चुनावों के समय 17.32 करोड़ मतदाता थे, वर्तमान में, मतदाताओं की संख्या 67 करोड़ से अधिक है। ऐसे देश के लिए चुनाव आयोग 45 लाख कर्मचारियों की मदद से चुनावों का आयोजन करता है।

चित्र *16.3* चुनाव आयोग का चिह्न

केंद्रीय चुनाव आयोग के पास चुनावों के आयोजन के लिए पृथक कर्मचारी नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 324(6) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों की अनुमति से, यह केंद्रीय और राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करता है। ऐसे समय के दौरान चुनाव कमीशन का सरकारी कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। केंद्रीय चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति के बिना कर्मचारियों को न तो स्थानांतरित किया जा सकता है और न ही पदोन्नतियाँ दी जा सकती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commossioner)

मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग के प्रधान होते हैं। केंद्रीय और राज्य विधानमंडलों के लिए सहज और निष्पक्ष चुनावों के आयोजन के लिए संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त को कुछ शक्तियों की गारंटी देता है। प्रायः ये भारतीय लोक सेवा से होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक (दोनों में से जो पहले होता है) होता है। पूर्व में, भारत के चुनाव आयुक्त होते थे। 1933 तीन सदस्यीय आयोग अस्तित्व में आया जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।

भारत के अन्य स्वायत्त निकायों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए।

वेतन, विशेष सुविधाओं, पद और शक्तियों के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के बीच कोई अंतर नहीं होता। प्रायः फैसले सर्वसम्मति से या फिर बहुमत के द्‌वारा लिये जाते हैं।

भारतीय राजनैतिक प्रणाली में, चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। टी.एन. शेषन (1990-1996) के पद भार संभालने पर चुनाव आयोग ने बहुत अधिक प्रसिद्‌धि अर्जित की। इन्होंने भारत के चुनावों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए बहुत प्रयास किया। अब चुनाव कमीशन की शक्तियों को देशव्यापी पहचान मिली।

टी.एन.शेषन की सिफारिशें

- नामांकन के वापस लेने की दिनांक से प्रचार अभियान के लिए 14 दिनों की समय सीमा नियत की जाय।
- एक ही उम्मीदवार, एक ही समय में, दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है।
- यदि किसी उम्मीदवार को दो वर्ष की सजा मिला हो तो अगले छह वर्षों तक उसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जायेंगी।
- यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव को रद्‌द नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इन्हें स्थगित करना चाहिए।
- प्रचार समय की समाप्ति के बाद, 48 घंटों के लिए शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

चुनाव आयोग के कार्य

संविधान के अनुच्छेद 324, से 329 भाग-15 चुनाव आयुक्त के गठन, शक्तियों और कार्यों के बारे में बताता है। संविधान चुनाव आयुक्त को चुनाव आयोजित करने के लिए कुछ शक्तियाँ प्रदान करता है।

SCERT TELANGANA

पहले भारतीय संविधान ने मत देने की आयु 21 वर्ष घोषित की थी किंतु 1988 में 61 वाँ संशोधन पारित हुआ जिसमें मत देने की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

कार्यों का वर्गीकरण इस प्रकार हैं:

1. प्रशासकीय कार्य
2. सलाहकारी कार्य
3. खासी-न्यायिक कार्य

इन कार्यो के अंतर्गत चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता है, नियत समय में इसका पुनरावलोकन करता है तथा पुनर्गठन आयोग (Delimitation Commission) के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों और उनकी क्षेत्रीय सीमाओं का सीमांकन करता है। यह चुनावों की अनुसूची की घोषणा करता है, नामांकनों को प्राप्त करता है, जाँच करता है, मतदान की तारीख तय करता है, राजनैतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चिह्न प्रदान करता है। चुनावों के दौरान दलों के द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता को तैयार कर उसे लागू करता है। चुनावी गोरख धंधों के अवलोकन के लिए यह जाँच अधिकारियों की नियुक्ति करता है।

यह संसद और राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधियों की अयोग्यता के बारे में राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों को सलाह देता है। यह दलों के बीच के विवादों को सुलझाता है। ऐसे समय में यह खासी न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।

भारत के चुनाव कमीशन के द्वारा दिये गये मार्गदर्शकों के अनुासर, चुनावी वर्ष में वे सभी लोग जिन्होंने 1 जनवरी तक या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उन सभी का जाति, वर्ण, धर्म, लिंग, भाषा आदि के भेदभाव के बिना मतदाता के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। बिना किसी भेदभाव के मता देने के अधिकार को 'सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार' (Universal Adult Franchise) कहते हैं। मतदाताओं के निकाय को 'निर्वाचक वर्ग' (Electorate) कहा जाता है।

चुनावों में राजनैतिक दल

चुनाव आयोग में पंजीकरण होने और एक लिखित आचार संहिता के होने पर ही एक राजनैतिक दल का गठन होता है। चुनावों के आदेशपत्र (Moderate) के आधार पर चुनाव आयोग दल चिह्नों को प्रदान करता है। चुनाव आयोग के द्वारा ही दलों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के रूप में घोषित किया जाता है। राज्य में, यदि कोई दल 3% वैध मत या 3 विधान सभा सीटें जीतता है तो उसे क्षेत्रीय दल घोषित किया जाता है। एक दल की मान्यता एक से अधिक राज्यों में हो सकती है। यदि किसी दल को 6% वैध मतों के साथ चार राज्यों

राष्ट्रीय दलों और राज्य दलों के कुछ चिह्न एकत्रित कीजिए।

SCERT TELANGANA

में मान्यता प्राप्त होती है या 4 विभिन्न राज्यों से लोकसभा की 11 एम.पी. सीटें प्राप्त होती हैं, तो उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं।

चुनाव - आचार संहिता

चुनाव आयोग चुनाव की समय-सारणी घोषित करता है। तभी से आदर्श आचार्य संहिता प्रभाव में आ जाती है। इसके अनुसार चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों और लोगों को चुनाव आयोग के नियमों और नियमावलियों का पालन करना आवश्यक है। इन नियमों और नियमावलियों का उल्लंघन, दुराचरण माना जाएगा जिसके लिए अनुशासक कार्यवाही की जाएगी।

- पता कीजिए की आचार संहिता के उल्लंघन के लिए क्या किसी उम्मीदवार के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है।
- पता कीजिए की क्या कोई उम्मीदवार न्यायालय के द्वारा अपराधी पाया गया है और चुनाव के लिए या अन्य राजनैकि विभाग के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

आचार संहिता के मुख्य बिंदु

1. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और राजनैतिक दलों को अन्य दलों की आलोचना करते समय जाति, वर्ण, धर्म या क्षेत्र से संबंधित कोई कथन नहीं कहना चाहिए।
2. ऐसी वैयक्तिक टिप्पणीयाँ नहीं करनी चाहिए जो राजनैतिक जीवन से संबंधित न हो।
3. किसी जाति या धर्म को निशाना बनाकर कोई भी राजनैतिक घोषणा न की जाय।
4. चर्च, मसजिद, मंदिर, अन्य धार्मिक स्थलों, शैक्षिक संस्थाओं जैसे स्थानों में किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्रचार/ अभियान न चलाया जाय।
5. कोई भी उम्मीदवार कैश या कोई वस्तु देकर मतदाता को प्रभावित न करें।
6. कोई भी मतदाता दूसरों के पहचान पत्र पर अपना मत न डालें।
7. मतदान के दिन 100 मी. के भीतर चुनाव अभियान न चलाया जाय।
8. मंजूर किये गये घंटों से पहले या बाद में किसी भी प्रकार का चुनाव अभियान न हो।
9. कोई भी राजनैतिक दल, मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र न लाएँ और मतादन केंद्र से वापस घर न छोड़े।
10. प्रत्येक को शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। आवासीय क्षेत्रों में रैली निकालना और धरने देना नियमों के विरुद्ध है।
11. अनुमति के बिना पार्टी के झंडे लगाना, बैनर बाँधना तथा दीवारों पर लिखना, पोस्टर चिपकाना मना है।

कुछ लोग और संस्थाएँ आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध न्यायालय पहुँचे।

रैलियों और सार्वजनिक सभाओं का आयोजन

1. सार्वजनिक सभाओं के आयोजन के लिए राजनैतिक दलों को स्थानीय पुलिस से पूर्व अनुमति ले लेनी चाहिए। उन्हें पुलीस को सभा का स्थान और

SCERT TELANGANA

- क्या राजनैतिक दलों को केवल रैलियों और सार्वजनिक सभाओं के द्वारा ही प्रचार करना चाहिए या कोई अन्य तरीके भी हैं?

समय की जानकारी देनी चाहिए। जिससे की पुलिस कानून और सुव्यवस्था की सुरक्षा की व्यवस्था कर सकें और यातायात गतिविधियों को नियमित कर सकें।

2. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को यह पता लगा लेना चाहिए कि जहाँ वसार्वजनिक सभा आयोजित करने वाले हैं वहाँ के लिए क्या कोई पूर्व सूचना है।
3. लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए उन्हें पूर्व अनुमति ले लेनी चाहिए। यदि कोई सार्वजनिक सभाओं के आयोजन में रुकावट डाले तो उन्हें स्वयं हमला न कर पुलिस को सूचना देनी चाहिए।

मतदान के दिन

चित्र *16.8* कतार में मतदाता

1. चुनाव कर्मचारियों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे मतदाता प्रजातांत्रिक और शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान कर सकें।
2. सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को, चुनाव कर्मचारियों को उनके कर्त्तव्य निभाने में सहयोग देना चाहिए।
3. मतदान केंद्र में बैठने वाले चुनाव एजेंट के लिए पहचान पत्र जारी किया जाय। इन पहचान पत्रों पर पार्टी चिह्न या नाम न हो।
4. चुनाव दिन के 48 घंटे पहले प्रचार अभियान बंद हो जाने चाहिए। SMS भी निर्जित है, शराब भी नहीं बाँटी जाय।
5. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और समर्थक मतदान केंद्र के समीप बड़ी संख्या में एकत्रित न हों।
6. कैंपों में कोई पोस्टर, झंडे, चिह्न और चुनाव सामग्री न हों। कैंप में किसी प्रकार का खाना भी न रखा जाय।

चुनाव-न्यायालय के फैसले:

- 2013 में, डॉ सुब्रहमण्य स्वामी के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया है कि-वोटिंग मशीन मतदाता को यह बताये की उनका मत सही डला है या नहीं। वोटर वैरीफाइट पेपर ऑडिट ट्रैल (VVPAT) मतदाता को उसके द्वारा डाले गये वोट की प्रतिपुष्टि करती है।
- 2013 में, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीस के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया है कि मतदाता को चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मदवारों को मत देने की स्वतंत्रता है। इस फैसले को अमल में लाने के लिए चुनाव आयोग ने ''NOTA'' को सम्मिलित किया।
- 2013 में, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चाहे संसद के हों या वैधानिक निकाय के हो, उन्हें अपने अपराधिक रिकार्ड, पति/पत्नी, बच्चों, संपत्ति /उत्तरदायित्वों, शैक्षिक योग्यताओं की घोषणा अनिवार्य रूप से करनी होगी।

चुनाव के समय शासित दल

शासित दल के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर मतदाताओं को प्रभावित करने की संभावना रहती है। इसकी जाँच के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम और नियमावलियाँ बनायी हैं। वे हैं:-

1. शासीत दल के नेता अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें, और पार्टी से संबंधित कार्यों के लिए अपने अधिकारी-वर्ग का उपयोग न करें।
2. उनके अधिकारिक दैरे और पार्टी संबंधित दौरे आपस में नहीं मिलने चाहिए।
3. प्रचार के लिए वे सरकारी वाहनों का प्रयोग न करें।
4. यदि प्रचार के लिए तीन से अधिक सुरक्षा वाहनों का उपयोग किया गया है तो उसे चुनाव खर्च में दर्शाना होगा।
5. चुनाव समय-सारिणी के जारी होने के क्षण से, चुनाव खर्च लागू होता है।
6. किसी भी पार्टी के द्वारा प्रचार के लिए सरकारी बिल्डींगों, कार्यालयों, स्थलों आदि सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग न हो।
7. प्रकाशन माध्यमों या प्रसार माध्यम के द्वारा सरकारी योजनाओं का कोई विज्ञापन न दिया जाय।
8. TV पर घोषणा करने से पहले, राजनैतिक दल चुनाव आयोग की अनुमति लें।
9. चुनाव अधिसूचना के जारी होने के पश्चात, शासित सरकार कोई अनुदान जारी न करें, भुगतान न करे, नयी योजनाएँ जारी न करें। वे किसी प्रकार की नयी परियोजना आरंभ न करें या किसी प्रका के वादे न करें।

मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ

''हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे''।

विभिन्न स्तरों पर चुनाव का आयोजन, चुनाव का आयोजन

राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी भारतीय चुनाव आयोग की सहायता करता है। इनकी नियुक्ति भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करके की जाती है। यह पद संवैधानिक दर्जे का नहीं है। साधारणतः वरिष्ठ IAS अफसर को नियुक्त किया जाना चाहिए। राज्य में संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव उसकी देखरेख में होते हैं। जिला स्तर पर, जिला कलेक्टर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करता है।

प्रत्येक मतदान क्षेत्र में चुनाव के आयोजन व निरीक्षण के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है। वह 'निर्वाचन अधिकारी' (रिटर्निंग ऑफिसर) कहलाता है। वे अभ्यर्थी, जिन्होंने अपना नाम मतदान सूची में दर्ज करा लिया है, योग्य हैं और प्रतिनिधियों के रूप में चयनित होने के लिए तत्पर हों, उन्हें अपने नामांकन पत्र ''निर्वाचन अधिकारी'' के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। नामांकन का समर्थन कम से कम निर्वाचन क्षेत्र के एक रजिस्टर्ड मतदाता के द्वारा होना अनिवार्य है। यदि कोई उम्मीदवार किसी पंजीकृत दल के द्वारा प्रायोजित होता है तो वह पार्टी उम्मीदवार कहलाता है। अन्य स्वतंत्र उम्मादवार कहलाते हैं।

SCERT TELANGANA

निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जाँच करता है और योग्य प्रतियोगी उम्मीदवार की सूची की घोषणा करता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नियत काल के भीतर नामांकन पत्र वापस लेने का विकल्प होता है। तत्पश्चात निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतियोगी उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा करता है। पार्टी उम्मीदवारों को पार्टी का चिह्न और स्वतंत्र उम्मीदवारों को उस समय उपलब्ध चिह्न आवंटित किये जाते हैं। तत्पश्चात प्रतियोगी उम्मीदवारों के नाम व चिह्न EVM (Electronic Voting Machine) में दर्ज कियेजाते हैं। संसद, राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनावों के आयोजन के लिए इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

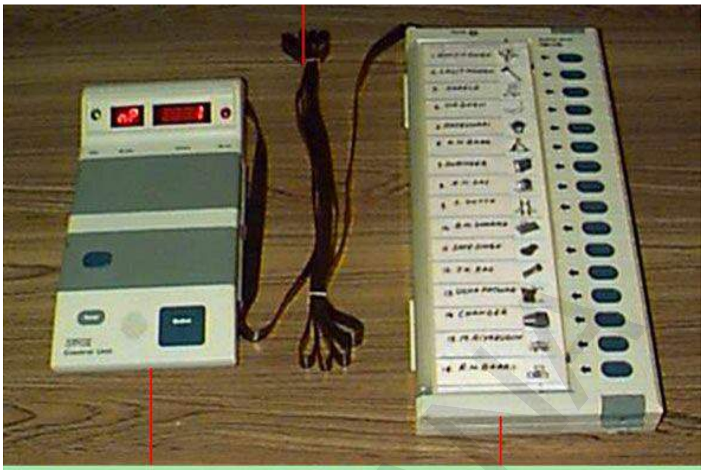

चित्र *16.9* कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट

मतदान प्रक्रिया

जिलों में मुख्य चुनाव अधिकारी चुनाव के आयोजन के लिए व्यापक प्रबंध करते हैं। वे चुनाव के आयोजन के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान कार्यकर्ता को संचालन अधिकारी और मतदान अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करते हैं। मतदान के दिन, वे सभी मतदानकर्त्ता जिनके नाम मतदान सूची में दर्ज हैं, उन्हें अपने मत देने की अनुमति दी जाती है। प्रतियोगी उम्मीदवारों के द्वारा नियुक्त किये गये चुनाव एजेंट चुनाव कर्मचारियों को मतदाताओं को पहचानने में मदद करते हैं।

मतदान करने से पहले मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी उँगली को अमिट स्याही (indelible ink) लगायी जाती है। EVM के न रहने पर बैलेट पेपर (ballot paper) पर स्वास्तिक चिह्न लगाकर, सही तरीके से मोड़कर बैलट बॉक्स (ballot box) में डाला जाता है।

चुनाव समाप्त होने के पश्चात, EVM या बैलट बॉक्स (ballot box) को सील करके काउंटिंग केंद्र (गणना केंद्र) पर लाया जाता है। काउंटिंग केंद्रों पर मत गणना की जाती है। जिस उम्मीदवार को अत्यधिक मत मिलते है उसे चयनित घोषित किया जाता है।

चित्र *16.10* निर्वाचन केंद्र में कर्त्तव्य निर्वहण करते हुए कर्मचारी

राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 5 वर्ष में एक बार साधारण चुनाव आयोजित किये जाते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, यदि संसद या विधानसभा के लिए चुनाव होते है तो उसे 'मध्यावधि चुनाव' (mid term elections) कहते हैं। एक या अधिक रिक्त पद के चुनाव का आयोजन होने पर उसे 'उप-चुनाव' कहा जाएगा ।

अस्वीकृति के लिए मतदान– NOTA(उपर्युक्त में से कोई नहीं)

2013 में, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टिस के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गये फैसले के आधार पर, NOTA पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार NOTA अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। NOTA को सर्वप्रथम 2013 में दिल्ली, मिज़ोरम, राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में विकल्प के रूप में किया गया। NOTA केवल एक विकल्प ही है। यह उम्मीदवार की योग्यता को प्रभावित नहीं करता, चाहे वह जीते या हारे। NOTA के लिए अधिकतम संख्या में मत दिये जाने के बावजूद द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजेता घोषित किया जाता है।

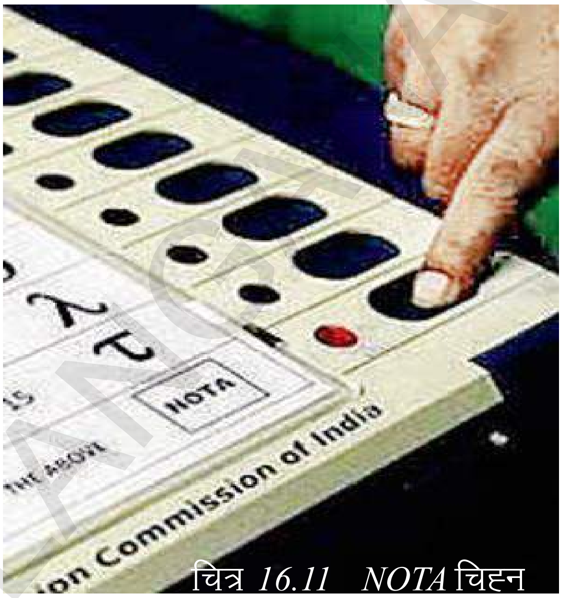

चित्र *16.11* *NOTA* चिह्न

चुनाव सुधार की आवश्यकता

भारत विश्व का द्वितीयय प्रसिद्ध देश है। हमारे देश में चुनावों का आयोजन एक जटिल प्रक्रिया है। प्रत्येक राजनैतिक दल उत्तर प्रशासन, सामाजिक-आर्थिक समानता और गरीबी के उन्मूलन का वादा करता है। किंतु कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, जिनकी अपराधिक पृष्ठभूमि है वे अवैध तरीकों से मतदाताओं को आकर्षित करते हैं। ये कार्य प्रजातंत्र का मज़ाक उड़ाते हैं।

प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में कुछ समस्याएँ होने के बावजूद ईमानदार और कई समर्पित राजनीतिज्ञों ने हमारे प्रजातंत्र को गौरवान्वित किया है।

- बेहतर प्रजातंत्र और नैतिक संचालन के लिए कुछ मापदंड सुझाइए।
- चुनाव में यदि केवल एक परिवार आरक्षण का आनंद उठाता है, तो समान समुदाय के अन्य सदस्य अवसर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपने मत पर चर्चा कीजिए
- यदि एक उम्मीदवार बहुत पैसा खर्च करके, चुनाव जीतता है, तो उसके विचारों की प्रक्रिया क्या होगी? यदि मतदाताओं से पैसा लेकर मतदान किया है तो क्या उन्हें अपनी समस्याओं के लिए चुने गये प्रतिनिधियों से प्रश्न पूछने का नैतिक अधिकार है?

SCERT TELANGANA

डाक द्वारा मतदान (Postal Ballot)

चुनाव कार्य के उत्तरदायित्वों के लिए जिन चुनाव अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, उन्हें अपना मत देने की गुंजाइश नहीं रहती क्योंकि उन्हें उनके कार्य स्थल की अपेक्षा चुनाव कार्य के लिए अन्य चुनाव क्षेत्रों के लिए नियुक्त किया जाता है। इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग ने डाक द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान की है। इसका अर्थ है कि, जो लोग चुनाव कार्यके लिए नियुक्त किये गये हैं, वे अपने मत देने के अधिकार का उपयोग, चुनाव तिथि के पहले ही मतदान पत्र (Ballot paper) के द्वारा कर सकते हैं। चुनाव अधिकारी विशेष सुविधा के साथ मतदान पत्र को मतदाता के निजी क्षेत्र को भेज देते हैं।

इन दो विधानसभाओं की सीटों के लिए चुनाव अधिसूचना रद्द कर दी गयी

नई दिल्ली:- चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार पहले पारित अधिसूचना को रद्द किया गया था। अधिक मात्रा में पैसों के वितरण की शिकायत के पश्चात चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में अरवकुरिची, तंजवूर निर्वाचन क्षेत्र के उप-चुनावों में चुनावों को रद्द कर दिया था। इस प्रकार चुनाव आयोग के द्वारा 16 मई 2016 के चुनाव रद्द कर दिये गये थे।

मुख्य शब्द

1. मत　2. आचार संहिता　3. EVM　4. निर्वाचन क्षेत्र　5. NOTA

आपने क्या सीखा

1. आप कैसे कह सकते हैं कि मत देने का अधिकार प्रजातंत्र में मुख्य भूमिका निभाता है? (As_1)
2. भारत में चुनाव आयोग की भूमिक का आकलन कीजिए। (As_1)
3. चुनाव आयोग के कार्यों की व्याख्या कीजिए। (As_1)
4. प्रजातंत्र में आदर्श आचार संहिता की क्या आवश्यकता है?
5. मत दे के हमारा उत्तरदायित्व पूर्ण नहीं होता। प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। समर्थन कीजिए। (As_1)
6. क्या आपने अपने क्षेत्र में चुनावों में कोई दुराचरण देखा हैं? आचार संहिता के कौनसे नियम का उल्लंघन हुआ है? (As_4)
7. 'चुनाव सुधार की आवश्यकता' शीर्षक के अंतर्गत दिया गया अनुच्छेद पढ़िए और टिप्पणी कीजिए। (As_2)
8. मतदान के महत्व के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए एक करपत्र तैयार कीजिए।

परियोजना

- आदर्श राजनीतिज्ञों की जानकारी एकत्रित कीजिए, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण-न्यौछावर किये हैं। उनके जीवन से हम क्या सीखते हैं?
- हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों की जानकारी एकत्रित कीजिए, तालिका बनाइए और परिणामों का विश्लेषण कीजिए।

SCERT TELANGANA

अध्याय 17

स्वतंत्र भारत (पहले 30 वर्ष - 1947-77)

Independent India (The First 30 years - 1947-77)

26 जनवरी 1950, को हम असंगतियों और विरोधों के नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में हमें समानता प्राप्त होगी किंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमें असमानता मिलेगी। राजनीति में हम एक आदमी, एक मत और एक मत एक मूल्य के सिद्धांतों की पहचान कर सकेंगे। हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में, सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण हम एक मानव, एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते हैं। हम कब तक इस असंगतियों का जीवन जीते रहेंगे? कब तक हम हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? यदि हम लंबे समय तक इसे नकारेंगे तो इससे राजनैतिक प्रजातंत्र को खतरा उत्पन्न होगा। जल्द से जल्द हमें इस असंगतियों को खत्म करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो जो लोग असमानताओं को भोग रहे हैं वे राजनैतिक प्रजातंत्र जिसे सभा ने श्रमपूर्वक बनाया है, उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं।

- बी.आर. अंबेडकर

15 वें अध्याय में हमने पढ़ा कि संविधान किस प्रकार बनाया गया। संविधान को बहु लक्ष्यों को तो प्राप्त करना ही है साथ ही साथ प्रजातांत्रिक कार्यों को बनाना, इकहरे राजनैतिक समुदायों की रचना और एकीकरण करना तथा तीव्र सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को लाना भी है। राष्ट्रीय लक्ष्यों की स्थापना और संस्थागत यांत्रिकी के स्थान पर रखकर, उन्हें अल्पावधि में अर्जित करना निस्संदेह उन लोगों के लिए महान् उपलब्धि हैं जो दो शाताब्दियों तक विदेशी शासन के अधीन थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के कुछ वर्ष भारत की उत्तर स्वतंत्रता के इतिहास को दर्शाते हैं। विभिन्नता में एकता को बनाये रखना, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के क्रियान्वयन को निर्धारित करना आदि ऐसी मुख्य चुनौतियाँ थीं जो नेतृत्व के सामने खड़ी थी। ये चुनौतियाँ एक दूसरे से संबंधित थीं और इस बात का ध्यान रखना था कि उनके कारण व्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न न हो। उदाहरण के तौर पर विकासात्मक लक्ष्यों और विभिन्नता में एकता को प्रजातंत्र के आड़े नहीं आना चाहिए। इस अध्याय में हम संविधान और प्रजातंत्र किस प्रकार काम करते हैं, भारत ने किस प्रकार राष्ट्रीय निर्माण के मुख्य मुद्दों को सुलझाया। जैसे प्रश्नों के साथ-साथ तीन अंतर संबंधित मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे।

- आपके विचार में क्या हम सामाजिक समानता को प्राप्त करने में सक्षम है? उन दृष्टांतों के बारे में सोचिए जिसे आप समानताओं और असमानताओं के उदाहरणों के रूप में पहचान सकते हैं।

प्रथम साधारण चुनाव (First General Elections)

नये संविधान के अंतर्गत होने वाले साधारण चुनाव भारतीय प्रजातंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के बाद प्रजातंत्र की राह पर चलने की भारत की आकांक्षा को दर्शाने वाले थे। भारत ने एक ही बार में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपना लिया था। पश्चिम में यह अधिकार पहले धनवानों को दिया गया था। बाद में यह समाज के अन्य वर्गों को दिया गया। उदाहरण के तौर पर स्विट्ज़रलैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार 1971 में प्राप्त हुआ था।

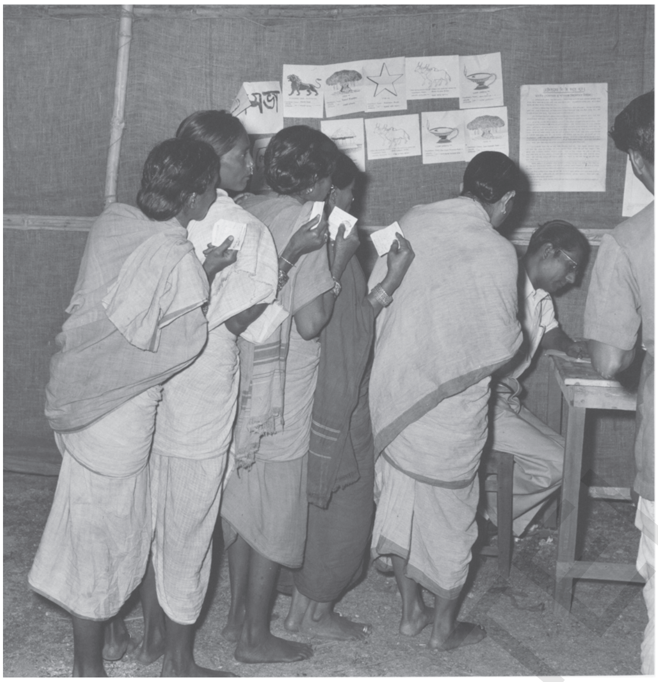

चित्र 17.1 : पहले साधारण चुनाव में मतदान करना।

- जब अपनी पसंद द्वारा मतदान की बात आती हैं तो निरक्षरता किस प्रकार चुनाव को प्रभावित करती है? इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है।
- यदि हमारे देश के सभी लोगों को चुनाव का अधिकार नहीं मिलता है तो क्या हमारा देश प्रजातंत्र देश कहलायेगा?
- स्त्रियों की साक्षरता दर बहुत कम है, यदि स्त्रियों को मतदान का अधिकार नहीं दिया जायेगा तो यह किस प्रकार हमारी नीतियों को प्रभावित करेगा?
- नियमित रूप से चुनावों का आयोजन प्रजातंत्र की स्थापना का स्पष्ट संकेत है? क्या आप इस कथन से सहमत है? कारण बताइए।

सामाजिक आयामों के कारण पहले चुनाव में बहुत कठिनाई हुई। जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को पढ़ना और लिखना नहीं आता था। वे अपनी पसंद कैसे बता सकते थे? देश के कुछ भागों में महिलाएँ अपने पिता या पति के नाम से जानी जाती थी। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। यदि देश को सामाजिक समानता की ओर ले जाना है और महिलाओं को समान अधिकार देने हैं तो इस प्रक्रिया में सुधार करना आवश्यक था। चुनावी नामांकन (Electral rolls) किस प्रकार तैयार किए जा सकते हैं? देश की लंबाई और चौड़ाई के आधार पर चुनावों के आयोजन में प्रायोगिक विषयों की देखभाल के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया।

निरक्षरता की समस्या से उबरने के लिए चुनाव आयोग ने एक नवीन उपाय खोजा। राजैनितक दलों और उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दैनिक जीवन के कुछ प्रतीकों को चुना गया। यह सृजनात्मक अन्वेषण विस्तृत निर्देशों में बँटा हुआ था। इसके लिए केवल दृष्टिक (visual) पहचान की आवश्यकता थी। आज भी इसी उपाय का पालन किया जाता है। इसे और आसान बनाने के लिए हर उम्मीदवार को एक अलग मतदान पेटी दी गयी थी जिस पर उनका प्रतीक चिपका दिया गया था, मतदाताओं को अपना मतपत्र अपनी पसंद के उम्मीदवार की पेटी में डालना था। चुनाव के समय मतदाताओं को आगे आने और मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक प्रचार किया गया।

SCERT TELANGANA

चुनावों का विवरण :- (Description of Elections)

जिलों में जहाँ सख्त पर्दा प्रथा थी, वहाँ महिलाओं के लिए अलग मतदान केंद्र बनाये थे और इनमें महिला कर्मचारियों को ही नियुक्त किया गया था।

अजमेर में एक राजपूत महिला, जिसने मखमली साड़ी से अपने पूरे शरीर को ढक रखा था एक भारी पर्दे से घिरे रथ पर बैठकर मतदान केंद्र में आयी। उसके शरीर का जो भाग दिख रहा था वह भी उसके बायें हाथ की अंगुली जिसपर न मिटने वाली स्याही का निशान लगाना था जिससे कि वह दुबारा अपने मत का प्रयोग न कर सकें।

कुछ गाँवों ने निकायों (body) के रूप में मत दिया। आसाम से आयी एक रिपोर्ट से पता चला था कि एक जनजाति गाँव के कुछ सदस्य मतदान से एक दिन पहले ही मतदान केंद्र पर पहुँच गये थे। सारी रात उन्होंने आग जलाकर, नाचते-गाते बितायी और दूसरे दिन सूरज उगते ही वे क्रमबद्ध तरीके से मतदान केंद्र पहुँच गए।

दो उम्मीदवारों में से किसे समर्थन दिया जाय? इस समस्या का समाधान पेप्सू (PEPSU) गाँव के लोगों ने इस प्रकार किया - उन्होंने दोनों उम्मीदवारों के नौजवान युवकों के बीच कुश्ती प्रतियोगिता करवायी दोनों में से जिस उम्मीदवार के नौजवान ने जीत हासिल की उस उम्मीदवार का गाँववालों ने समर्थन दिया।

जब मतपेटियाँ खोली गयी तो बहुत सारी भेंटें दी गयी, ईमानदारी की याचिकाएँ की गयी, भोजन और वस्त्रों की माँग की गयी।

''प्रजातांत्रिक चुनावों के साथ भारतीय अनुभव'' ये अंश 1958 में मार्गेट, डब्ल्यू फिशर और जोन वी. बोंडूरेंट द्वारा लिखित इंडियन प्रेस डाइजेस्ट्स (Indian Press digests) से लिये गए हैं।

राजनैतिक व्यवस्था में एक दल का आधिपत्य (One Party Dominance in Political System)

स्वतंत्र भारत में पहले तीन साधारण चुनाव 1952, 1957 और 1962 में हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अन्य उम्मीदवारों को पछाड़कर जीत हासिल की। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अन्य दलों को व्यक्तिगत रूप से 11% मत भी प्राप्त नहीं हुए। कांग्रेस को कुल मतों के 45% मत प्राप्त हुए और उसने 70% सीटों पर विजय हासिल की। कोई भी दल कांग्रेस के नज़दीक भी नहीं पहुँच सका था।

कांग्रेस ने कई राज्यों में अपनी सरकार बनायी। ये कांग्रेस शासन प्रणाली की शुरुआत थी। सदैव से सत्ताधारी कांग्रेस दल के अन्य दलों के साथ संबंधों की पहचान ही इस काल की मुख्य विशेषता थी। फिर भी कांग्रेस के छोटे-छोटे समूह थे। इन दलों की उत्पत्ति नेताओं की निजी प्रतियोगिता के आधार पर होने पर भी, ये अपनी पार्टी के लक्ष्यों की प्राप्ति में भागीदार थे। कभी-कभी नीति संबंधो मुद्दों पर इनमें मतभेद होते थे।

इन दलों के सदस्यों की रुचि के आधार पर भिन्न-भिन्न मुद्दों पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण थे। इस प्रकार कांग्रेस विभिन्न रुचि और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधत्व करने वाली पार्टी बन गयी। समय-समय पर नेतृत्व पर दबाव डालने के लिए ये दल अन्य राजनैतिक दलों से समझौता कर लेते थे। सत्ताधारी पार्टी के लिए एक अंत निर्मित वास्तविक यांत्रिकी (corrective Mechanism) बन गयी थी। इस प्रकार कांग्रेस की एक दलीय आधिपत्य प्रणाली में राजनैतिक प्रतिस्पर्धा का आरंभ हो गया। इस तरह विपक्षी अप्रकट तरीके से काम करने वाले थे, वे डर या आतंक फैलाने वाले नहीं थे।

SCERT TELANGANA

आरेख 1 : 1952 और 1962 में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त स्थान (सीट)

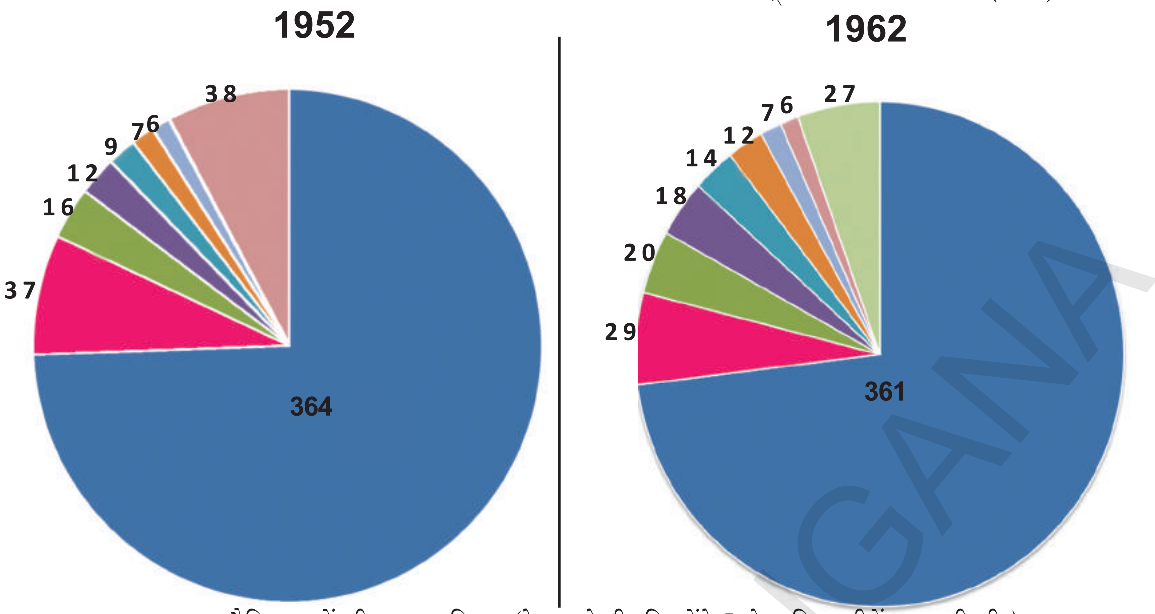

राजनैतिक दलों की अनुक्रमणिका (केवल वे ही, जिन्होंने 5 से अधिक सीटें प्राप्त की थी।)

1952			1962		
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	समाजवादी दल, किसान मज़दूर प्रजा पार्टी	गणतंत्र परिषद	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	स्वतंत्र दल	द्रविड मुन्नेट्टा कज़खम
स्वतंत्र उम्मीदवार	जन प्रजातांत्रिक फ्रंट (मोर्चा)	अन्य	भारत का साम्यवादी दल	जनसंघ	समाजवादीदल प्रजा
भारत का साम्यवादी दल			स्वतंत्र उम्मीदवार	प्रजा समाजवादी दल	अन्य

अन्य राजनैतिक दलों की अनुपस्थित होने पर भी ये अप्रजातांत्रिक स्थिति नहीं थी। क्योंकि अन्य दलों ने चुनावों में भाग तो लिया था किंतु वे सीटें हासिल कर, कांग्रेस को चुनौती नहीं दे पाये थे। धीरे-धीरे इन राजनैतिक दलों ने कुछ दशाब्दियों के भीतर स्वयं को सशक्त बनाया और वे भी सत्ता के मज़बूत प्रतियोगी बन गये। इस अवधि के शुरुआती वर्षो ने प्रजातंत्र के विकास में योगदान दिया। इसी कारण मुक्त और खुली प्रतियोगिता के आधार पर बहुदलीय व्यवस्था की स्थापना हुई। यह स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा शुरु किए गए संवैधानिक रूपरेखा और प्रजातांत्रिक बुनियादों की शक्ति थी, जिसने भारतीय राजनीति को एक बहुदलीय प्रजातंत्र के निर्माण करने में सहायता दी। विपक्ष को चुप कराने और बहुदलीय प्रजातंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सत्ताधारी दल प्रायः पक्षपातपूर्ण (paitisan manner) तरीके से कार्य करते थे। भारत के अनुभव उसी समय स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले अन्य उपनिवेशों देशों जैसे - इंडोनेशिया, पाकिस्तान, चीन, नाइजीरिया से बिल्कुल भिन्न थे।

- उन विशेषताओं के बारे में बताइए जिनसे ये पता चलता है कि कांग्रेस राजनैतिक व्यवस्था में आधिपत्य स्थापित करने में सक्षम थी।

राज्य के पुनर्गठन की माँग (Demand for State Reorganisation)

भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग नये देश की पहली चुनौतियों में से एक थी। ब्रिटिश काल के समय देश प्रेसिडेंसियों (कोलकत्ता, मद्रास, और मुंबई) और बहुत बड़े

SCERT TELANGANA

केंद्रीय प्रांत (central provinces) तथा बरार में विभाजित था। देश का बहुत बड़ा भाग राजा शाही शासन (princely state) के अधीन था। इनमें विभिन्न भाषाओं में बात करने वाले लोग मिलकर रहते थे। उदाहरण के तौर पर मद्रास प्रेसीडेंसी में तमिल, मलयालम, कन्नड, तेलुगु गोंडी और उडिया भाषाओं वाले लोग रहते थे। एक भाषा में बात करने वाले तथा एक विशिष्ट स्थान पर रहने वाले लोगों ने माँग की कि एक राज्य के अंतर्गत उनका गठन किया जाय। ये प्रचार संयुक्त कर्नाटक (मद्रास, मैसूर, बंबई और हैदराबाद के कन्नड भाषी लोगों को जोड़ने के लिए) संयुक्त महाराष्ट्र, महागुजरात आंदोलन, ट्रावनकोर और कोचीन के राजा शाही राज्यों को मिलाने के लिए तथा सिक्खों के लिए पंजाब राज्य के लिए था। इन माँगों से संबंधित इच्छापत्र देश के एकता के निर्माण के लिए था? या इसके द्वारा भाषायी आधार पर देश की एकता के खंडित होने का भय था? इस बात पर मुख्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता थी।

Fig 17.2 : 1950 के शुरुआत में जवाहरलाल नेहरु सड़क का उद्घाटन करते हुए

धर्म के आधार पर देश के विभाजन की बात ने नेताओं के मस्तिष्क में देश की सुरक्षा और स्थायित्व के प्रति शंका और भय की भावना उत्पन्न हुई। लोगों को इस बात का भय था कि भाषायी पुनर्गठन से देश खंडित हो सकता है। कांग्रेस के स्वयं के भाषायी आधार पर गठित होने पर भी इसने देश को इसी आधार पर गठित करने का वादा किया। किंतु स्वतंत्रता की प्राप्ति पर इस कार्य में शिथिलता दिखायी पड़ी।

सभी आंदोलनों में सशक्त आंदोलन तेलुगु भाषियों का था, जिन्हें कांग्रेस ने भाषायी राज्यों के पक्ष में पुराने प्रस्तावों को लागू करने के लिए आमंत्रित किया था। ब्रिटिश शासन के समय में भी आंध्र महासभा सक्रिय थी और मद्रास प्रेसीडेंसी में तेलुगु भाषी लोगों को मिलाने के लिए प्रयासरत थी। यह आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भी चल रहा था। इन आंदोलनों में याचिकाओं, प्रतिनिधित्वों, गलियों की यात्राओं (street march) और अनशनों द्वारा विरोधों का प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने इस माँग का विरोध किया था, जिसके फलस्वरुप पहले चुनावों में तेलुगु भाषी क्षेत्रों मे पार्टी की स्थिति खराब हो गयी। जिन पार्टियों ने भाषायी आंदोलनों का समर्थन किया, उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हुई। साम्यवादी दल जिसने इस आंदोलन का समर्थन किया था, उसे 41 सीटें प्राप्त हुई थी।

Map 1 : राज्य के पुनर्गठन के पूर्व दक्षिणी प्रायः द्वीप के विभिन्न प्रांतों का आरेख प्रस्तुतीकरण

जवाहरलाल नेहरू भाषायी राज्यों के विरोधी नहीं थे, उन्हें लगता था कि अभी इसके लिए यह सही समय नहीं है। उस समय के सभी नेताओं की इस स्थिति पर सामूहिक राय थी। उनका विश्वास था कि भारत इस समय स्वयं के संगठन की प्रक्रिया से गुज़र रहा है और इसमें कोई असमंजस नहीं है।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (State Reorganisation Act, 1956)

पृथक तेलुगु भाषी राज्य के गठन की माँग करने वाले, पोट्टी श्रीरामुलु के 58 दिनों के अनशन के पश्चात् अक्तूबर 1952 में मृत्यु हो गयी थी। परिणामरूप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों का गठन हुआ। अगस्त 1953 में भाषायी सिद्धांतों के आधार पर राज्यों के गठन के मुद्दों पर कार्य करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) की नियुक्ति की गयी। फ़ज़ल अली, के. एम. पानीक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इस आयोग के प्रमुख सदस्य थे। इस आयोग के द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ई. में संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम को स्वीकृत कर लिया। इसके फलस्वरूप 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन हुआ। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि जब भाषायी राज्यों का निर्माण होता है तो उसमें जनजाति भाषाएँ जैसे :- गोंडी, संथाली और ओरयॉन को मिलाया नहीं जाता है। शक्तिशाली जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली तेलुगु और तमिल भाषा को इसमें स्थान दिया जाता है।

भाषायी राज्यों का गठन, इच्छापत्र की सफलता और राजनीति द्वारा समस्या के समाधन का उदाहरण है। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि वास्तविकता में भाषायी पुनर्गठन ने आशा के अनुरूप भारत को कमज़ोर नहीं किया बल्कि इसके संगठन में मदद की है।

- यदि भाषायी राज्यों का गठन नहीं होता तो क्या भारत की एकता और मज़बूत हो सकती थी? अपन विचार बताइए।
- आप यह क्यों समझते हैं कि इस समय जनजाति भाषाओं की उपेक्षा की गयी थी?
- क्या आप जानते हैं कि आज भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं?
- भारत के नवीनतम राज्य कौन-कौन से हैं? वे कहाँ गठित किए गए?

सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन (Social and Economic Change)

संवैधानिक सभा ने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा पद और अवसरों की समानता की बात की। इसने आधुनिक भारत की कार्यसूची में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को सबसे ऊपर स्थान दिया। नये संविधान के उद्घाटन के बाद योजना आयोग का गठन हुआ। नेहरू के लिए योजना केवल एक अच्छी अर्थ-व्यवस्था ही नहीं थी बल्कि एक अच्छी राजनीति भी थी। उनकी आशा थी कि नियोजित विकास से जाति, धर्म, समुदाय और प्रांतों का विभाजन तो खत्म होगा ही साथ ही साथ अशांतिकारी और विभेदकारी विचारधाराओं की भी समाप्ति होगी जिससे भारत एक शक्तिशाली और आधुनिक देश के रूप में विकसित होगा।

पहली पंचवर्षीय योजना ने मुख्य रूप से कृषि, भोज्य उत्पादन की आवश्यकता, संचार माध्यमों और परिवहन के विकास तथा सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। इसने भारत में जल्द से जल्द औद्योगिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। जैसे कि बताया गया है कि भोजन मूलभूत आवश्यकता है। इस बात पर सभी की सामूहिक

Fig 17.3 1960 के दौरान निर्माणाधीन भाखड़ा बांध। स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा बनाये गए पहले बाँधों में से एक है। (नीचे) पूर्व दशाब्दियों में वयस्क साक्षरता कक्षाओं का दृश्य। इन परियोजनाओं से समाज में किस प्रकार के विभिन्न विचार और परिवर्तन दिखायी देते हैं? इस पर चर्चा कीजिए।

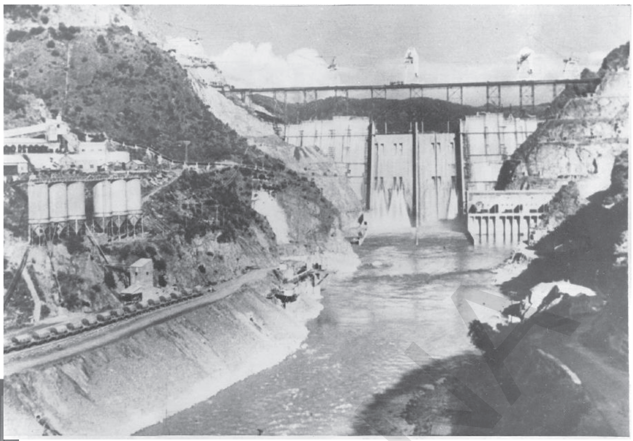

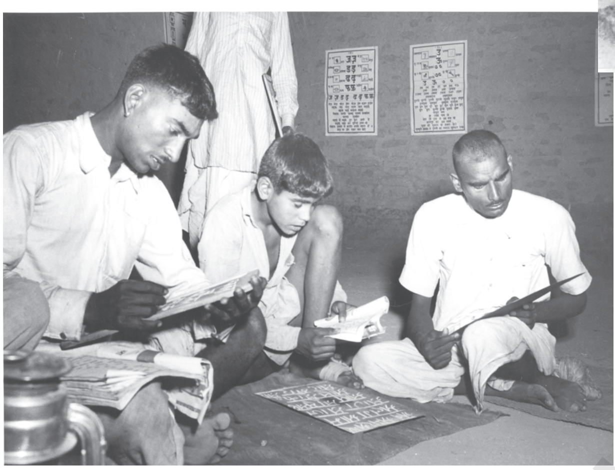

राय थी कि भोजन का उत्पादन बढ़ाया जाय किंतु इस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ था कि इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाय। राजनैतिक विचारों को विभाजित करने वाले दो मुख्य प्रश्न ये थे : विकास की विशालतम व्यूह रचना में कृषि का क्या स्थान होना चाहिए? उद्योग और कृषि के बीच संसाधनों का बँटवारा कैसे होना चाहिए?

नेहरू के लिए कृषि संबंधी परिवर्तन साधारण रूप से एक आर्थिक मुद्दा ही नहीं था बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी था। नेहरू द्वारा प्रतिपादित व्यूह रचना को अंत में भू-सुधार, कृषि-सहकारिता और स्थानीय स्वशासन जैसे तीन घटकों के साथ अपना लिया गया। भू-सुधार के तीन तरीकों पर विचार किया गया था जो इस प्रकार थे : जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, किरायेदारी पद्धति में सुधार, भू-सीमा का निर्धारण। इनका प्राथमिक उद्देश्य था कि भूमि वास्तविक खेतिहरों के हाथ में जाय जिससे उन्हें अधिक उत्पादन की प्रेरणा प्राप्त हो। सहकारी संस्थाओं को पैमाने की लागत को बढ़ाने के साथ साथ बीज, खाद, उर्वरक जैसे निर्गतों को भी उपलब्ध कराना था। स्थानीय स्वशासन निश्चित करेगी कि भू-सुधार कार्य चलाए जायेंगे और सहकारी संस्थाएँ गाँव के लोगों की सामूहिक रूचि के अनुसार चलायी जायेंगी।

भारत में भू-सुधार पूरे दिल से लागू नहीं किए गए। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् भी भूमिहीनों में भूमि का पुनः वितरण नहीं किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश भूमि पर धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों का नियंत्रण ज़ारी था। दलित उसी प्रकार भूमिहीन थे किंतु वे बलपूर्वक करवाये जाने वाले श्रम और अस्पृश्यता के उन्मूलन से लाभान्वित हुए थे।

पहली पंचवर्षीय योजना ने सिंचाई और बिजली के उत्पादन के लिए विशाल बाँधों के निर्माण द्वारा कृषि में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। बाँधों के निर्माण से कृषि, और औद्योगिक क्षेत्र दोनों लाभान्वित हुए कृषि के उत्पादन में वृद्धि होने पर भी ये जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं थे।

SCERT TELANGANA

योजना बनाने वालों ने यह अनुभव किया कि देश के विकास के लिए उद्योगों का विकास करना आवश्यक है। ताकि अधिक से अधिक लोग शहर जायें और कारखानों तथा सेवा क्षेत्रों में काम करें। इसीलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना से उद्योगों पर बल दिया गया। आप पहले की कक्षाओं में भारत के आर्थिक विकास के बारे में पढ़ चुके होंगे।

विदेश नीति और युद्ध (Foreign Policy and Wars)

जब भारत स्वतंत्र हुआ उसी समय शीत युद्ध भी आरंभ हुआ और विश्व संयुक्त राष्ट्र और (US) और सोवियत संघ (USSR) जैसे दो गुटों के बीच बँट गया। जवाहर लाल नेहरू ने किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति का अनुसरण किया तथा विदेश नीति में समान दूरी और स्वतंत्र स्थिति बनाये रखने का प्रयास किया। जवाहर लाल नेहरू ने इसी समय पर स्वतंत्र होने वाले तथा इसी नीति का अनुसरण करने वाले इंडोनेशिया, ईजिप्त (मिस्त्र) युगोस्लाविया जैसे देशों से हाथ मिलाया। इन सबने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की। अपने निकटतम पड़ोसी देशों के लिए नेहरू जी ने पंचशील की नीति का निर्माण किया। इस नीति का मुख्य लक्ष्य था - अ- हस्तक्षेप (non-Interference) अर्थात् एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर भी इस अवधि के दौरान भारत को दो युद्धों का सामना करना पड़ा था - पहला युद्ध कशमीर के मामले में 1948 में पाकिस्तान के साथ तथा दूसरा युद्ध 1962 ई. में चीन के साथ हुआ था। भारत इन युद्धों के लिए पहले से तैयार नहीं था, मुख्यतः 1962 के युद्ध में भारत को जन-धन का बहुत नुकसान उठाना पड़ा।

- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता लगाइए कि क्या 1970 के पहले सहकारी संस्थाओं की स्थापना हुई थी? इन संस्थाओं के सदस्य कौन बन सकते थे?
- भारत में किए गए भू-सुधारों की तुलना चीन और वियतनाम में किए भू-सुधारों के आधार पर कीजिए।

उत्तराधिकार (The Succession)

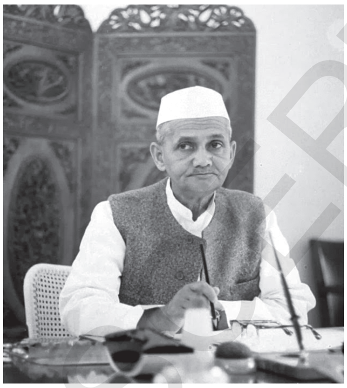
चित्र 17.4:लाल बहादुर शास्त्री

1964 ई. में नेहरू जी की मृत्यु से आलोचकों को शंका हुई कि क्या प्रजातंत्र जीवित रहेगा या अन्य देशों के समान यह प्रजातांत्रिक आचार-विचारों को खो देगा? कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को अपना नेता चुनकर सरकार में सफलता पूर्वक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। भारत देश के नैतिक मूल्यों और लक्ष्यों को चुनौती देने वाले विभिन्न मुद्दों के द्वारा शास्त्री जी की तात्कालिक परीक्षा ली गयी। 1965 ई. में पाकिस्तान के युद्ध के अलावा दक्षिण में DMK द्वारा चलाए गए हिंदी विरोधी आंदोलन, जिससे विभिन्नता में एकता के लक्ष्य को खतरा उत्पन्न हुआ था, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के मार्ग में आने वाली खाद्यान्न की कमी की समस्या जैसी चुनौतियों का सामना शास्त्री जी को करना पड़ा था। 1965 ई. में उनकी असामयिक मृत्यु के पश्चात् इंदिरागांधी को प्रधानमंत्री पद का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ।

हिंदी विरोधी आंदोलन (Anti-Hindi Agitation)

जब 1963 ई. में आधिकारिक भाषा अधिनियम स्वीकृत हुआ तो DMK को लगा कि यह सारे देश पर हिंदी को थोपने का प्रयास है, इसीलिए उन लोगों ने हिंदी की अमलवारी के

विरोध में राज्य व्यापी प्रचार आरंभ किया। इसके अंतर्गत हड़ताल और धरने किए गए, पुतले जलाए गए, हिंदी पुस्तकें और संविधान के पृष्ठों को भी जलाया गया। अनेक स्थानों पर हिंदी के साईनबोर्डों पर कालिख पोत दी गयी। आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच घमासान युद्ध हुए। केंद्रीय सरकार ने शीघ्र ही इन विरोधों पर ध्यान दिया। कांग्रेस स्वयं हिंदी समर्थक और हिंदी-विरोधी जैसे दो गुटों में बँट गयी। कुछ लोगों को लगा कि देश की एकता दाँव पर है।

जब परिस्थितियों को हाथ से निकलते देखा तो हिंदी समर्थक होते हुए भी शास्त्री जी ने हिंदी विरोधी गुट के कष्टों में कमी करने के अनेक तरीके अपनाए। हर राज्य को उनकी एक अपनी भाषा रखने का अधिकार दिया गया, यह भाषा-प्रांतीय भाषा या अंग्रेज़ी हो सकती है। संप्रेषण प्रांतीय भाषा के साथ अंग्रेज़ी अनुवाद में हो सकता है, अंग्रेज़ी केन्द्र और राज्यों के बीच संप्रेषण भाषा के रूप में बनी रहेगी तथा लोक सेवा परीक्षा केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी में भी आयोजित की जाएगी।

यहाँ हम फिर यह देखेंगे कि किस प्रकार प्रसिद्ध सामाजिक आंदोलनों ने उस समय की सरकार पर आधिकारिक स्थितियों पर पुनः ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया। स्थितियों पर नियंत्रण रखने के लिए दोनों मुद्दों में प्रधानमंत्री को हद से भी बाहर जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी निजी तौर पर आंदोलनों का समर्थन नहीं किया। यह स्पष्ट था कि नेहरू जी और शास्त्री जी दोनों के लिए निजी जीवन से अधिक देश की एकता सर्वोपरि थी।

- भाषा नीति ने देश की एकता और अखण्डता के विकास ने किस प्रकार सहायता की?
- क्या राष्ट्रीय भाषा का होना आवश्यक है?
- क्या सभी भाषाओं को समान दर्ज़ा मिलना चाहिए?

हरित क्रांति (Green revolution)

विकासात्मक व्यूह से संबंधित वाद-विवाद का केवल आर्थिक महत्व ही नहीं बल्कि राजनैतिक महत्व भी था। नेहरू और कांग्रेस के केंद्रीय समूह के बायें पक्ष ने जहाँ कृषि में राज्य नियंत्रण और संस्थागत व्यूह का समर्थन किया वहीं पर केंद्रीय समूह के दायें पक्ष ने राज्य नियंत्रण का विरोध किया। उन्होंने लगातार कार्यक्रमों की आलोचना की और सरकार के प्रयासों पर पानी फेरने का प्रयत्न किया। राज्य स्तर पर इस समूह के शक्तिशाली होने के कारण, उनका मानना था कि बहुत सारी मौलिक योजनाओं की उचित रूप से अमलावरी नहीं हुई है।

जब यह बात स्पष्ट हो गयी कि प्रचलित युक्तिओं से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है तो वर्ष 1964-67 के बीच अन्य युक्तियों का निर्धारण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यसरकारों के सहयोग की सुरक्षा के साथ-साथ खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि भी थी। इससे आर्थिक नीतियों में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात् इससे

SCERT TELANGANA

आर्थिक विचारधारा में भी परिवर्तन आए।

क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय आंदोलनों का उदय (Rise of Regional parties and Regional movements)

1967 के चुनाव भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह देखा गया कि चुनावों को बहुत गंभीरता से लिया गया था तथा उनका अपना एक अस्तित्व था। इस समय तक आर्थिक विकास प्रक्रिया में विजित और पराजित दोनों तरह के लोग थे। इस प्रक्रिया ने राजनैतिक प्रतियोगिता को परिवर्तित कर दिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। उसे बहुत कम बहुमत हासिल हुआ था (284 सीटें)। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल की विधानसभाओं में उसे हार का सामना करना पड़ा था। यह भारत में पहला बड़ा परिवर्तन था। वह दल जिसने लगभग 30 वर्षों तक लगातार शासन किया था अब उसे चुनौती मिली थी। पराजित दल ने सत्ता से लटकने का प्रयास नही किया बल्कि उसे जीतने वाले दल को सरकार बनाने के लिए अवसर दिया। इससे पता चलता है कि भारत में प्रजातंत्र की जड़ें फैल चुकी थी और देश प्रतियोगी बहुदलीय व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा था।

कांग्रेस को तमिलनाडु और केरल में भारी नुकसाना हुआ। तमिलनाडु में DMK दल को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। इससे पता चलता है कि सशक्त रूप से आयोजित क्षेत्रीय आंदोलन सत्ताधारी दल को चुनौती दे सकते हैं। DMK दल के फिल्म उद्योग से भी दृढ़ संबंध थे। इसीलिए प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एम.जी. रामचंद्रन, जिन्हें एम. जी. आर (MGR) भी कहा जाता है, के प्रशंसकों के भी कई संगठन बन गये थे। इनसे भी उसे बहुमत प्राप्त करने में मदद मिली थी।

कांग्रेस को केरल, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में भी हार का सामना करना पड़ा। इन पराजयों और चुनौतियों ने कांग्रेस को आंतरिक रूप से कमज़ोर बना दिया था। उत्तर भारत के कई राज्यों में जहाँ कांग्रेस को बहुत ही छोटी विजय प्राप्त हुई थी, वहाँ उसके सदस्य विपक्ष से मिल गये थे। फलस्वरूप कांग्रेस सरकार की सत्ता समाप्त हो गयी और संयुक्त विधायक दल (SVK) की सरकार बन गयी। मौलिक रूप से यह कांग्रेस के विरोध में विधायकों का मेल था, जिसमें जनसंघ, समाजवादी, स्वतंत्र, कांग्रेस के पराजित विधेयक और स्थानीय दलों के विधायक शामिल थे।

नयी सरकार का भारत के राजनैतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि पहली बार इस समय प्रजातांत्रिक उभार के लक्षण दृष्टिगोचर हुए। यह पहली बार हुआ कि अंतःकालीन जातियों और समूहों, जिन्होंने भू-सुधारों से लाभ प्राप्त किया था तथा जिन्होंने आर्थिक पहुँच के कुछ अंशों को अर्जित किया था, उन्हें राजनैतिक सत्ता प्राप्त हुई थी। इन जातियों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट, बिहार के कुर्मी और कोइरिस, मध्यप्रदेश में लोध और यादव (यादव इन सभी राज्यों में) आंध्र प्रदेश में रेड्डी और कम्मा, कर्नाटक में वोक्कालिगास और तमिलनाडु में वेलालस प्रमुख थे। अपने-अपने राज्यों में ये जातियाँ प्रमुख थीं और इनकी संख्या भी अधिक थी। अन्य प्रमुख (पिछड़ी जातियाँ) जातियों में (DMK) का आगे आना एक उत्तम उदाहरण हैं।

संयुक्त विधायक दल (SVD) की सरकारों का जीवन बहुत कम था। उनका जीवन असफलताओं और भ्रष्टाचारों से भरा था। सत्ता ही एक ऐसा घटक था जिसने उन्हें एकता में बाँध रखा था। इन सरकारों के पास प्रदर्शन के लिए कुछ नहीं था। समस्या यह है कि आज भी क्षेत्रीय या राजनैतिक दलों का मूल्यांकन इसी दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है।

SCERT TELANGANA

इस काल में देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय भागों के नवीनीकरण के बीज बोये। आंध्र प्रदेश में पृथक तेलंगाना की माँग हुई। इस आंदोलन में उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उनका मानना है कि विकास के लाभ राज्य के केवल कुछ वर्गों तक ही पहुँच रहे हैं।

चित्र 17.5: इंदिरा गाँधी

असोम में दिसंबर 1969 ई. में, मेघालय नामक नये राज्य का निर्माण हुआ। इसे खासी, जैनतिया और गारो पहाड़ी जैसे जनजातियों जिलों में से निर्मित किया गया। 1966 में पंजाब बना था किंतु अब तक उसकी अपनी राजधानी नहीं है। चंडीगढ, हरियाणा और पंजाब की आम राजधानी है, उसकी प्राप्ति के लिए 1968-69 के बीच अनेक प्रदर्शन किए गए। महाराष्ट्र में माँग रखी गयी कि बंबई केवल मराठी लोगों को सौंपी जाय। इस आंदोलन का नेतृत्व शिव सेना ने किया। मुख्य रूप से शिव सेना का इशारा दक्षिण भारतीयों की ओर था, क्योंकि उनका मानना था कि शहर के सारे रोज़गार पर ये लोग ही अधिकार जमा रहे हैं।

इसी समय, पुरानी माँगे भी निरंतर चलती रही। कश्मीर और नागालैंड की माँगें भी इसी समय सामने आयी। सदन की गिरफ़्तारी से मुक्त होने के पश्चात् शेक अब्दुल्लाह वापस अपने राज्य आ गए थे। इसी तरह नागालैंड में भी, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए युवा नेतृत्व सामने आया।

यह सांप्रदायिक तनाव का भी काल था। देश कई भागों और राँची (बिहार) अहमदाबाद (गुजरात) जलगाँव (महाराष्ट्र), अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) में सांप्रदायिक दंगे हुए। बहुत कठिन समय था। अभी-अभी राजनैतिक परिवर्तन हुआ था और नये नेतृत्व ने स्थान ग्रहण किया था।

जम्मु और कशमीर

वह परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत जम्मू और कशमीर ने भारतीय संघ में स्थान प्राप्त किया था वह अन्य राज्यों से बिल्कुल भिन्न थी। जहाँ, अन्य राज्यों ने भारतीय संघ का शासन स्वीकार कर लिया था, वहीं शासक हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। वे भारत और पाकिस्तान दोनों में ही मिलना नहीं चाहते थे। राज्य में बहुसंख्यक जनसंख्या मुसलमानों की थी और शासक हिंदू थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जम्मू और कशमीर की मुस्लिम कांफ्रेस द्वारा शेख मुहम्मद अब्दुल्लाह के नेतृत्व में एक प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन महाराज के विरोध में तथा मुसलमानों को सरकारी रोज़गार में अधिक प्रतिनिधित्व देने तथा अन्य मुद्दों में सरकारी प्रतिनिधित्व के लिए किया गया था। आगे चलकर आंदोलन ने राष्ट्रीय कांफ्रेंस का रूप ले लिया। हिंदू और सिक्ख भी इसके सदस्य बन गये। राष्ट्रीय कांफ्रेंस और कांग्रेस में बहुत समानताएँ थी। जैसेः- दोनों ने ही धार्मिक सद्भावना और समाजवाद की स्थापना का वादा किया था।

1947 के अंत तक राज्य को अपनी पश्चिमी सीमाओं पर बाह्य आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। ये आक्रमण पाकिस्तान की सहायता से रजाकारों ने किए थे। जब आक्रमणकारी श्रीनगर के समीप थे तो महाराज ने भारतीय सेनाओं से सुरक्षा का निवेदन किया। भारत के गवर्नर जनरल ने कहा कि भारतीय सेनाएँ तभी उपलब्ध होगी जब जम्मू और कशमीर का भारत में विलय हो जाएगा। उसी समय राज्य के भविष्य के निर्णय के विभिन्न मत सुझाए गए। राज्य की स्वायतता (Autonomous) के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गयी।

जनवरी 1948, ई. में भारत ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा। इस मुद्दे को भरोसे के साथ पेश नहीं किया गया था इसीलिए यह आगे चलकर भारत - पाकिस्तान प्रश्न में परिवर्तित हो गया। उसी समय शेख अब्दुल्लाह ने दिल्ली समझौते को मान लिया, जिसमें कश्मीरियों को भारत की पूर्ण नागरिकता देने, राज्य को स्वायत्तता के साथ-साथ अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ देने की बात कही गयी थी। इस समझौते के अधिकांश खण्ड राज्य की अनिवार्य विशेषताओं की सुरक्षा के लिए बनाये गए थे। जिन्हें अनुच्छेद 370 के रूप में संविधान में स्थान दिया गया था।

ठीक उसी समय राज्य में एक आर्थिक विभाजन हुआ, जिसने धार्मिक रूप ले लिया। भू-सीमा के निर्धारण के आधार पर, भू-सुधारों ने राज्य के कई भू-स्वामियों को समाप्त कर दिया। ये भू-स्वामी हिंदू थे। इस आर्थिक कार्यक्रम का सबसे अधिक लाभ मुसलमानों को हुआ। 1950-1990 के दौरान केंद्रीय सरकार ने राज्य की स्वतंत्रता को कम करने तथा अन्य राज्यों के समान इसे भी एक ही रेखा में लाने के अनेक प्रयास किए। इससे कशमीर की जनता में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इस प्रतिक्रिया का प्रयोग 1990 में कशमीर में हुए स्वतंत्रता आंदोलन को उत्तेजित करने के लिए किया गया। इस काल में अधिकांश हिंदू परिवारों को कशमीर की घाटी को छोड़ने तथा अन्य राज्यों में प्रवास करने के लिए मजबूर किया गया।

नये नेतृत्व को बढ़ती राजनैतिक जागरूकता और माँगों की अभिव्यक्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न बहुसंख्यक समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार होना था।

इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर दोनों प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए 1967 के चुनाव करवाये। इंदिरा गाँधी ने निर्धन और पददलित लोगों में पहचान बनाकर स्वयं के लिए तथा अपनी पार्टी के लिए एक नया सामाजिक आधार बनाने का प्रयास किया। उनका यह कदम दुहरे सिरे वाला हथियार था। सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित पुराने वादे अभी तक पूरे नहीं हुए थे। यह 1967 में कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण बना। अभी तक, इंदिरा नये वादे कर रही थी। दस वर्षों में भी जब जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया तो जनता निराश [illegible] आपातकाल (Emergency) की अमलवारी के रूप में हुआ।

बंगलादेश युद्ध (Bangladesh War)

1970 के आरंभ में पूर्वी पाकिस्तान (जो आज बंगलादेश है।) में संकट उत्पन्न हो रहा था। बंगाली पहचान के दावे तथा पश्चिमी पाकिस्तान के सौतेले व्यवहार के कारण इस संकट ने आंदोलन का रूप ले लिया। साधारण चुनावों में, मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली पार्टी को जीत

SCERT TELANGANA

हासिल हुई। किंतु उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया। जिसके फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान के सैन्य दबाव आरंभ हो गए। लाखों शरणार्थी भारत आ गए। जिन्हें भोजन और आवास उपलब्ध कराना था। इसी समय बंगला देश में मुक्ति आंदोलन (Liberation Movement) आरंभ हुआ तथा भारत से सहायता की माँग की गयी। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और भारत ने बंगला देश की मुक्ति को निश्चित करने तथा स्वतंत्र देश के रूप में उसे स्थापित करने के लिए निश्चयात्मक रूप से हस्तक्षेप किया। भारत के ऐसा करने के पीछे उसकी सैन्य शक्ति ही नहीं थी बल्कि उसकी कौशलात्मक रूप से प्रयोग की गयी गुट-[illegible] निश्चित किया था कि दोनों महाशक्तियाँ इस युद्ध मे हस्तक्षेप नहीं करेंगी।

वामपंथी मोड (The left turn)

नयी नीतियों और कार्यक्रमों के आरंभ के द्वारा इंदिरा गाँधी ने स्वयं के लिए तथा कांग्रेस के लिए एक नया मार्ग तैयार किया। इस नीति ने उसे पार्टी संगठन पर नियंत्रण रखने में सहायता की।

1971 तक अधिकांश राज्यों में, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किये जाते थे। 1972 के बजाय 1971 में पूर्व चुनावों की घोषणा कर इंदिरा गाँधी ने इस परिपाटी को तोड़ दिया। ''गरीबी हटाओ'' के प्रसिद्ध नारे के साथ कांग्रेस चुनावों के लिए तैयार थी। निर्धनों और अधिकारहीनों के लाभ के लिए इसने व्यवस्था की सुधारवादी पुनःरचना का वादा किया। कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की जिससे इंदिरा गाँधी की प्रसिद्धि बढ़ गयी। विपक्ष निर्बल हो गया, उसके आलोचक शांत हो गये और वह जनता की प्रिय बन गयीं। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, इसमें भारत की जीत ने इंदिरा गाँधी की प्रसिद्धि को और बढ़ा दिया। बाद में 1972 ई. में हुए चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा तथा इंदिरा गाँधी की प्रसिद्धि बढ़ती गयी। अब पार्टी और संसद दोनों पर इंदिरा का नियंत्रण रहा।

इस काल में महत्वपूर्ण विधेयक जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वीकृत किये गये थे, वे थे - कई निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राजकीय पेंशनों की समाप्ति । इन दोनों विधेयकों को न्यायालय में चुनौती दी गई किंतु न्यायालय में इन्हें राजनैतिक लक्ष्यों के मार्ग में बाधा के रूप में पेश किया गया।

चित्र *17.6 :* कलकत्ता (कोलकत्ता) में परिवार नियोजन का दवाखाना

SCERT TELANGANA

नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में न्यायालय की सोच अलग थी। सर्वोच्च न्यायालय को भय था कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के नाम पर संविधान में बहुत संशोधन किये जाएँगे, जो वास्तव में इसे विकृत करेंगे तथा विभिन्न संस्थागत संरचनाओं के बीच उत्पन्न संबंधों में असंतुलन पैदा करेंगे।*1973* में न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसके अनुसार संविधान में संशोधन कर सकने की सरकारी शक्ति की जाँच की जाएँगी।

अनियंत्रित स्थितियों और घटनाओं ने इंदिरा गाँधी पर निशाना साधा, जिसमे इंदिरा को अपने द्वारा किये गये वादों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके कार्यकाल में दो घटनाएँ एक साथ घटी जिससे सामाजिक और आर्थिक स्थिति को तराशने की अपेक्षा उस पर ध्यान देना आवश्यक था। *1973* में हुए अरब-ईजराइल के युद्ध ने तेल की कीमतें बहुत बढ़ा दी जिससे सरकार पर बहुत दबाव पड़ा। मँहगाई, अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी तथा बेरोजगारी ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग अप्रसन्न था । इस स्थिति ने विपक्ष को अपना काम करने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में व्याप्त असंतोष को बढ़ावा देना शुरू किया। विपक्ष ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में अपनी एकता को संगठित किया। जयप्रकाश नारायण ने देश के विभि [illegible] किये। यह जे.पी. आंदोलन था जो बिहार और गुजरात में बहुत प्रचलित था।

आपात काल

सरकार ने व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर नागरिक अधिकारों के उल्लंघन करने वाले कई कानूनों को बनाकर कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की। सरकार का निजीकरण करने के लिए विपक्ष ने प्रधान मंत्री की आलोचना की। इसी समय, 1971 के चुनावों के दौरान, जन प्रतिनिधि अधिनियम के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से इंदिरा गाँधी को लोक सभा की सीट से हटा दिया गया। किंतु सर्वोच्च न्यायालय से वह इस पर स्थगन (stay) लाने में सफल हो गयी।

कुछ दिनों के पश्चात जब जे.पी. आंदोलन ने ज़ोर पकड़ना आरंभ किया तो सरकार ने आपात काल की घोषणा कर दी और इसे व्यवस्था के संरक्षण, प्रजातंत्र के बचाव, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय एकता के संरक्षण को न्यायसंगत और प्रमाणित बताया।

इससे प्रजातंत्र को ताक पर रख दिया गया। सरकार ने अनेक दमनकारी कदम उठाये, जिसे शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए आवश्यक बताया गया। कई मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। इसी समय अनेक मनमाने अवरोध, अत्याचार तथा नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन करने जैसी घटनाएँ हुई। जनता ने बढ़ते मूल्यों पर नियंत्रण तथा कालाबाज़ारी और बंधुआ मज़दूरी को खत्म करने के लिए किये गये प्रचारों को स्थगित किया। आपातकालीन सरकार ने झुग्गी बस्तियों (Slums) की समाप्ति के कदम भी उठाये। किंतु जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर जबरदस्ती वंध्यीकरण जैसे कार्यों के कारण सरकार की निंदा हुई। नागरिक

स्वतंत्रता के अभाव में लोग अपने अप्रिय विषयों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे। जिससे सरकार को सही कदम उठाने में परेशानी हो रही थी।

इस समय की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटना थी । 42 वाँ संवैधानिक संशोधन। इसके द्वारा कई परिवर्तन हुए। इसके निम्नलिखित लक्ष्य थे -

अ) न्यायालय को चुनावी झगड़ों से अलग करना।

आ) केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को भी शक्तिशाली बनाना।

इ) न्यायिक चुनौतियों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संबंधी विधेयों को अधिकतम सुरक्षा उपलब्ध करवाना।

ई) न्यायालय को संसद की चाटुकार बनाना। जहाँ संशोधन का संभावित उद्देश्य न्यायालय से सामाजिक और आर्थिक विकास की सुरक्षा करना तथा राष्ट्रीय एकता को मज़बूत बनाना था वास्तव में इससे देश की प्रजातांत्रिक शक्ति कमज़ोर हो गयी ।

उपसंहार

पहले तीस वर्षों के आपातकाल में गुज़रने पर भी, यदि तुलना पत्र (Balance Sheet) को देखा जाये तो इसमें हमें प्रविष्टिओं (Debits) की अपेक्षा उधार (Credits) अधिक दिखायी देंगे।

इस काल की सबसे प्रमुख उपलब्धि स्थिर प्रजातंत्र थी। भारत के साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले अन्य देशों से भारत की तुलना करने पर हम देखते हैं कि विभिन्न रूचियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों के साथ प्रतिस्पर्धी बहु-दलीय व्यवस्था का क्रमशः उद्गम एक वास्तविक उपलब्धि है। अन्य देशों की तुलना में भारत में चुनाव नियमित, मुक्त और निष्पक्ष ही नहीं होते हैं। बल्कि यहाँ पर नेताओं और सरकारों में भी यथार्थ परिवर्तन होता है। भारतीय संविधान नागरिक अधिकारों की गारंटी ही नहीं देता है बल्कि यह इसकी सुरक्षा को निश्चित करने के लिए एक संस्थागत ढाँचा भी तैयार करता है।

भारत ने एक प्रभावकारी संस्थागत रूपरेखा भी तैयार की है जिसमें न्यायालय, चुनाव आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Auditor General) जैसी स्वतंत्र संस्थाएँ भी है। सत्तावादी तटस्थता भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सैन्य बलों पर नागरिक नियंत्रण एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से तुलना करने पर भारत का स्थान प्रजातंत्र की संस्थाओं में बहुत ऊपर है।

मिलजुलकर रहने और विभिन्नता में एकता को बनाये रखने में भारत को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। गहन विभिन्नताओं को देखने पर ऐसा लगता था कि भारत छिन्न-भिन्न हो जायेगा किंतु ऐसा नहीं हुआ और इसने अन्य देशों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया।

आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, योजना आयोग की स्थापना और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य पर ध्यान देना आवश्यक है। समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों पर अधिक ध्यान दिया गया। पहले भारत खाद्यान्न के लिए निर्भर था किन्तु धीरे-धीरे वह खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। इसने एक स्पृहणीय औद्योगिक आधार की नींव का निर्माण किया। फिर भी, सही मायनों में संतुलित क्षेत्रीय विकास नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में

SCERT TELANGANA

अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विकास हुआ। रोजगार के अवसरों में भी अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई।

प्राथमिक शिक्षा और जन स्वास्थ्य को कम महत्व दिया गया। यह निस्संदेह एक बड़ी कमजोरी थी। इस कमजोरी से उबरने के लिए भारत को बहुत समय लग सकता था। भारत की तुलना में चीन और कोरिया जैसे देशों ने इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य किया था।

जाति प्रथा में व्याप्त निंदनीय अस्पृश्यता के उन्मूलन के बाद भी बहुत सारे भेदभाव विद्यामान थे। लिंग आधारित भेदभाव भी निरंतर चल रहे थे।

मुख्य शब्द

राज्य पुनर्गठन	एक दलील आधिपत्य	आपातकाल
क्षेत्रीय आंदोलन	राष्ट्रीयकरण	

अपनी सीखने की क्षमता सुधारें

1. स्वतंत्रता के पश्चात शुरुआती वर्षों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए कौनसे कदम उठाये गये ? (AS_1)
2. एक दल आधिपत्य से आप क्या समझते हैं? केवल चुनावों के संदर्भ में इसका विवेचन करेंगे या आदर्शवाद के संदर्भ में आप इस पर विचार करेंगे। कारण सहित चर्चा कीजिए। (AS_1)
3. कभी एकता स्थापित करने वाले तत्व के रूप में तो कभी विभाजित करने वाले तत्व के रूप में भाषा भारतीय राजनीति में कई अवसरों पर केंद्रीय बिंदु बन गयी थी? उन घटनाओं को पहचानिए और उनका वर्णन कीजिए। (AS_1)
4. 1967 के चुनावों के पश्चात राजनैतिक व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। (AS_1)
5. राज्य पुनर्गठन के अन्य तरीकों के बारे में सोचिए और बताइए कि वे भाषा आधारित पुनर्गठन की तुलना में किस प्रकार उचित हो सकते थे? (AS_1)
6. इंदिरा गाँधी की किन नीतियों को वामपंथी मोड (left turn) कहा गया है ? यह पिछली दशाब्दियों की नीतियों से किस प्रकार भिन्न थी? आपके अर्थशास्त्र के अध्यायों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर बताइए कि ये किस प्रकार वर्तमान में प्रचलित नीतियों से भिन्न थी। (AS_1)
7. आपात काल, किस प्रकार भारतीय प्रजातंत्र के लिए प्रतिरोध का काल था? (AS_1)
8. आपात काल के पश्चात कौनसे संस्थागत परिवर्तन हुए ? (AS_1)
9. भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को पहचानिए। (AS_5)

   1) महाराष्ट्र 2) गुजरात 3) बिहार 4) उत्तर प्रदेश
   5) जम्मू कश्मीर 6) नागालैंड 7) पंजाब 8) मेघालय
10. भारत में होने वाली बहु दलीय व्यवस्था से जनता को होने वाले लाभ और हानि के बारे में विश्लेषण कीजिए। (AS_4)
11. पृष्ठ संख्या 232 में दूसरा अनुच्छेद पढ़कर उसपर टिप्पणी कीजिए। (AS_2)

SCERT TELANGANA

अध्याय

18

1977 से 2000 तक राजनैतिक प्रवृत्ति का उत्पन्न होना

(Emerging Political Trends 1977 to 2000)

- पिछले अध्याय में स्वतंत्र भारत में घटित राजनैतिक घटनाओं पर संक्षिप्त सारांश लिखिए।

इस अध्याय में हम तत्कालीन भारत में घटी राजनैतिक घटनाओं को नज़दीकी से देखेंगे। इनमें से कई घटनाएँ एवं विषय विभाजित है और इस देश के राजनैतिक भूदृश्य को भी प्रस्तुत किया गया है। हम प्रतियोगी बहुदलीय पद्धति के उद्भव के साथ दलीय पद्धति में परिवर्तन को देखेंगे। दल प्रणाली में इस परिवर्तन के कारण कोई भी एक दल अपनी सरकार नहीं गठित कर पा रहा है और हमारे पास कई संयुक्त सरकारों की श्रृंखला दिखाई दे रही है। आर्थिक क्षेत्र में, यह परिवर्तन इस काल में विशाल स्तर पर प्रगति लाता है। बाज़ार की आर्थिकता और प्रजातंत्र में राजनीति के मध्य तनाव इस युग में स्वयं क्रीड़ाएँ कर रहे हैं। ठीक इसी समय पुराने धार्मिक एवं जातीय भेदभाव के विषय फिर से जागृत हुए और राजनैतिक संचार का साधन बने। इस अध्याय में उन प्रतियोगी युग के समकालीन विषयों का, संविधान के मौलिक मूल्यों पर प्रभाव जैसे प्रजातन्त्र, अनेकता में एकता तथा सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन, का निरीक्षण करेंगें।

उस समय की घटनां पर शिक्षक और छात्र दोनों अपने विचार अपने पूर्ण विश्वास के साथ रख सकते हैं पर यह राय दी जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों को उदार मन से सम्मान देना चाहिए और अपने विचारो को इस प्रकार प्रकट करना चाहिए कि वह दूसरों को कष्ट न पहुँचाएँ।

आपातकाल का अंत तथा मोरारजी देसाई और चरण सिंह द्वारा जनता पार्टी सरकार की रचना।	1977
इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का गठन	1980
टी.डी.पी. का गठन	1982
आपरेशन ब्लुस्टार और इंदिरा गाँधी की हत्या।	1984
राजीव गाँधी ने पंजाब पर सहमत HS लांगवाल के साथ तथा आसाम पर AASU	1985
मिजो नेशनल फ्रन्ट-----के साथ एकमत	1986
श्रीलंका के साथ समझौता	1987
वी.पी.सिंह तथा चन्द्रशेखर के साथ चुनाव तथा जनता दल सरकार की रचना।	1989
मंड़ल कमीशन सिफारिश को लागू करने का निर्णय।	1989
राम जन्म भूमि रथ यात्रा	1990
राजीव गाँधी की हत्या और कांग्रेस सरकार में PVN राव को प्रधान मंत्री बनाना।	1991
आर्थिक उदारवाद	1990
बाबरी मस्जिद के विवादित निर्माण को ढहना	1992
देवी गौड़ा द्वारा नेशनल फ्रंट सरकार की रचना तथा IK गुजराल प्रधानमंत्री बने।	1996
अटल बिहारी वाजपेयी ने NDA सरकार आरंभ की	1998

SCERT TELANGANA

इस अध्याय में प्रजातांत्रिक संस्थाओं के महत्वपूर्ण स्वभावानुसार व्यवहार और भविष्य पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है तथा विभिन्न कोणों से उसे समझने की कोशिश की है। किस प्रकार हम चर्चाओं का आयोजन करते हैं, उस पर ही प्रजातंत्रत की प्रौढ़ता दिखाई देती है।

आपातकाल के पश्चात प्रजातंत्र की वापसी :

भारतीय प्रजातंत्र के लिए 1975 से 1985 तक का समय परीक्षा का युग था। इसका आरंभ आपातकाल की घोषणा से हुआ जिसमें अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था और इसका अंत राजीव गाँधी द्वारा प्राप्त कांग्रेस की ऐतिहासिक चुनाव विजय से हुआ। चाहे इसका आरंभ और अंत कांग्रेस पार्टी के समय ही देखा गया परन्तु कांग्रेस के लिए केन्द्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर ये साध्य विकल्प थे। इस प्रकार भारत ''एकल पार्टी प्रजातंत्र'' की ओर फिसलने से रुक गया जैसा कि कई देशों में होता है। प्रतियोगी विकल्पों की सुनिश्चितता से भारतीय मतदाता के लिए सदैव उचित चयन करने का मार्ग खुल गया। यह कई विभिन्न राजनैतिक विचारों और विविध रुचियों को राष्ट्रीय राजनीति एवं प्रांतीय स्तर पर सक्रिय करती है। समाजवादी, राष्ट्रीय हिंदू, साम्यवादी, उनके साथ-साथ किसान, दलित, पिछड़ी जाति तथा अन्य भी अपने राजनैतिक विचारों को बढ़चढ़कर प्रकट कर सकते हैं और माँग सकते हैं। उसी समय अन्य अराजनैतिक आंदोलन जैसे पर्यावरणीय आंदोलन, अकाल आंदोलन, नागरिक उदारवादी आंदोलन, साक्षरता आंदोलन और अन्य कई आंदोलन उत्पन्न हुए और सामाजिक परिवर्तन में बलशाली संचालक बन गये। आइए विस्तृत रूप से इनकी जाँच करते हैं।

- क्या आप समझते हैं कि बहु दलीय प्रजातंत्र की अपेक्षा एक दलीय प्रजातंत्र अधिक उचित होता है?
- विद्रोह एवं परिवर्तन में किस प्रकार बहु-दलीय प्रजातंत्र अधिक प्रभावशाली होता है?

1977 के चुनाव और आपातकाल का अंत :-

जब जनवरी 1977 में चुनाव की घोषणा की गई तो सभी आश्चर्य चकित हो गए। किसीको भी चुनाव की आशा नहीं थी। इन्दिरा गाँधी ने भी सभी राजनैतिक कैदियों को मुक्त कर दिया, सभी बंधनों एवं क़ानून को हटा दिया। साथ ही साथ आंदोलन, प्रचार तथा सभाओं को स्वतंत्रता दे दी। कई विरोधी दलों ने कांग्रेस को चुनौती देने के लिए सामने आने का निश्चय किया। कांग्रेस (O), स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जन संघ, भारतीय लोक दल तथा समाजवादी पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी बनाने का निर्णय लिया। प्रमुख कांग्रेस नेता जैसे जगजीवनराम पार्टी छोड़कर कांग्रेस विरोधी फ्रन्ट में शामिल हो गए। अन्य विरोधी दल जैसे DMK,SAD तथा CPI(M) अपनी स्वतंत्र पहचान रख कर कांग्रेस के विरोध में जनता पार्टी को सहयोग दिया। वयोवृद्ध नेता जैसे जयप्रकाश नारायण और आचार्य JB कृपलानी ने कांग्रेस विरोधी तथा आपातकालीन विरोधी पार्टी को जोड़ने एवं चुनाव में लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह ध्यान देने की बात है कि इनमें से कुछ पार्टियों के सामाजिक एवं राजनैतिक विषयों मे इनके विचारों में विरोधाभास था।

SCERT TELANGANA

भारतीय प्रजातंत्र में यह ऐतिहासिक चुनाव था। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी पराजित हुई और जनता पार्टी सत्ता में आयी।

इस काल में नीलम संजीव रेड्डी 26 मार्च 1977 के दिन एकमत से 6 वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गये। तत्पश्चात निर्विरोध रूप से अकेले राष्ट्रपति चुने गये। सभी राजनैतिक दलों यहाँ तक कि विरोधी दल कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया और 25 जुलाई 1977 के दिन इन्होंने भारत के 6 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह महान राजनीतिज्ञता वाले व्यक्तियों को स्वीकार करने की प्रथा में नयी शुरूआत थी। इससे पता चलता हैं कि सार्वजनिक जीवन में जिसने उच्च स्तर स्थापित किया था, वे सार्वजनिक अफसर के रूप में पसंद किये जाते थे और वे सांप्रदायिक दल पर आधारित राजनीति से दूर थे। अपने कार्यकाल में श्री संजीव रेड्डी ने प्रधानमंत्रियों मोरारजी देसाई, चरण सिंह और इंदिरा गाँधी के अंतर्गत तीन सरकारों के साथ कार्य किया।

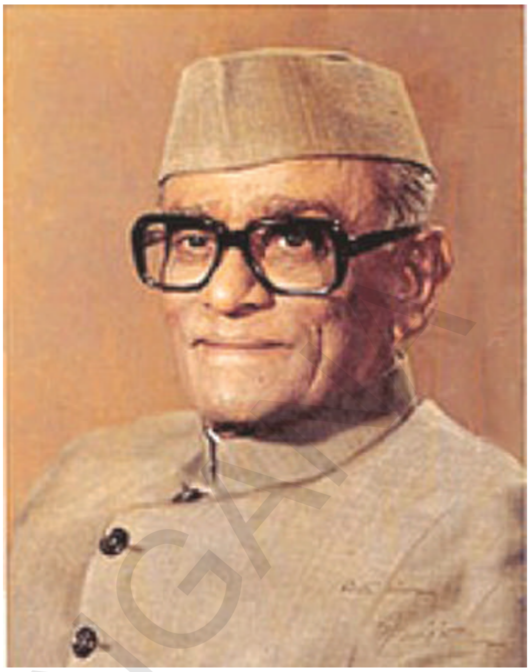

चित्र 18.1 : नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति

विजयी जनता पार्टी ने राजकीय स्तर पर नौ कांग्रेसी सरकारों को निष्कासित कर दिया। अपने विधानसभा क्षेत्रों में बहुमत मिलने पर भी संसदीय चुनावों में पराजित होने पर केंद्रीय सरकार का राज्य सरकारों को निष्कासित करना कितना न्याय संगत था। जनता पार्टी ने तर्क दिया कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के कारण राज्यों में अपने शासनाधिकार को खो दिया है। इसीलिए उसे अधीन हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और बिहार में जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में CPI(M) तथा तमिलनाडु में DMK की जीत इस बात को प्रमाणित करती है।

1970 की कुछ विरोधी (विपक्षी) पार्टियाँ

BLD - भारतीय लोक दल - यह पार्टी उन सामाजवादियों की थी जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के भारतीय किसानों के लिए अधिक सतर्क थी। यह मुख्य रूप से उ.प्र. में थी।

कांग्रेस (O) - वह कांग्रेस का संकीर्ण भाग जो इंदिरा गाँधी की योजनाओं का विरोधी था।

CPI(M) -भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) राष्ट्रीय जागृत पार्टी जिसने बुनियादी भू सुधार, व्यापारिक संघवाद और समाजवादी योजनाओं को पाने के लिए संघर्ष किया।

DMK - द्रविड़ मुनेत्रा काजगम - तमिलनाडु की मुख्य पार्टी जिसने प्रांत में अधिकार एवं शक्ति प्राप्त की।

जन संघ :- उत्तरी प्रदेश में मुख्य रूप से प्रसिद्ध हिंदू राष्ट्रीय पार्टी थी।

SAD :- शिरोमणि अकाली दल - यह पार्टी पंजाब के सिक्खों की थी जो मुख्यतः गुरुद्वारा के आस-पास आयोजित थी। इसीलिए यह सम-धार्मिक दल वाली थी। यह राज्य में महान स्वायत्तता के पक्ष में थी।

SCERT TELANGANA

चित्र 18.2 : प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई

जनता पार्टी ने सत्ता मे आते ही यह वचन दिया कि वह प्रजातंत्र की पुनः स्थापना करेगी तथा उत्तरदायित्व शासन (अधिकारी शासन) से मुक्ति दिलाएगी । पार्टी में मतभेद ने सरकार पर गहरा प्रभाव डाला तथा शासन केवल आंतरिक तुच्छता तथा अयोग्यता से पहचानी जाने लगी। पार्टी में स्वार्थी संघर्ष के कारण सरकार तीन वर्षों के भीतर गिर गई और 1980 में चुनाव हुए।

1980 में कांग्रेस फिर से सत्ता में लौटी। कांग्रेस ने जनता दल को हराकर तथा 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार को निष्कासित कर जनता का साथ दिया। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर कांग्रेस सभी राज्यों में विजयी हुई ।

जनता पार्टी तथा कांग्रेस सरकार दोनों के द्वारा किये गये कार्यो ने मौलिक सिद्धांतों को दुर्बल बना दिया तथा केंद्रीय भूमिका का साथ दिया। यह राष्ट्रीय एकता पर भी प्रभावशाली बना। कई राज्यों के लोगों ने इसमे मोड़ लाना चाहा तथा केंद्रीय सत्ता की दृढ़ता चाही या भारत से अलग हो जाना चाहा। गैर कांग्रेस क्षेत्रीय दल (जैसे SAD और DMK) ने एकत्र होकर सामान्य फ्रन्ट की स्थापना करने, तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने, महान वित्तीय स्वायत्तता का निर्माण करने, प्रांतीय स्तर के विषयों में कम हस्तक्षेप और राज्यपाल के अधिकारों के दुरुपयोग तथा राष्ट्रपति शासन को, लागू करने, में स्वच्छंदता को रोकने का प्रयास किया।

राष्ट्रपति शासन

संविधान के 356 अनुच्छेद में यह दर्शाया गया हैं कि प्रांत का राज्यपाल राष्ट्रपति से यह अनुरोध कर सकता है कि वह प्रांतीय सरकार को स्थगित कर दे और यदि उन्हें ऐसा लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार सरकार चलाने में सक्षम नहीं हैं तो राज्य विधान सभा को भंग कर दे। तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय लेकर राज्य सरकार को भंग कर सकते है तथा राज्यपाल को शासन का भार संभालने का आदेश दे सकते हैं।

इस संदर्भ में संविधान में कोई स्पष्ट मार्ग दर्शन नहीं दिया गया है, कई केंद्रीय सरकारें विराधी पार्टी द्वारा संचालित कई प्रांतों की सरकारों को भंग कर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर रही है। तब से, इस प्रकार का दुरुपयोग आज कल कम हो रहा है।

1994 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकार के अनुच्छेद 356 के उपयोग पर कठिन सीमा लगा दी। तब से इस शक्ति का उपयोग बहुत कम हो गया है।

- ऐसे कई उदाहरण है जिसमे केंद्र ने प्रांतीय स्तर पर सरकार को भंग किया, यदि वे अन्य किसी राजनैतिक पार्टी की हो। चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उन्होने प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का हनन किया है।

क्षेत्रीय लालसा का उद्भव

आइए हम भारत के विभिन्न भागों में तीन आंदोलनों को देखेंगे : आंध्र प्रदेश, असोम और पंजाब में । क्या आप इन आंदोलनों में समानताएँ एवं असमानताओं को पहचान सकेंगे। ये तीनों स्वशासन के अधिकार की माँग करते थे।

आंध्र प्रदेशः- एकीकृत आंध्र प्रदेश में अधिकतर केंद्रीय कांग्रेस सत्ता के द्‌वारा मुख्य मंत्री में परिवर्तन होता रहता था तथा उपरोक्त कारणों के कारण नेताओं को अरुचिपूर्ण लगा। उन्हें ऐसी अनुभूति होती थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व द्‌वारा आन्ध्र प्रदेश के नेतृत्व को सम्मान नही मिलता था। यह आंध्र के लोगों के सम्मान के लिए अपमान जनक था। प्रसिद्‌ध अभिनेता N.T रामा राव (NTR) ने इस कारण को चुना। 1982 में अपने 60 वें जन्मदिवस पर तेलुगु देशम पार्टी का आरंभ किया। उन्होंने बताया कि तेलुगु देशम पार्टी तेलुगु भाषी के आदर और आत्मसम्मान के लिए बनी है (तेलुगुवारी आत्म गौरवम)। उन्होंने विवाद किया कि राज्य को कांग्रेस पार्टी के निचले कार्यालय के रूप में न माना जाए। समान रूप से उसने गरीबों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाओं को भी महत्व दिया। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ जैसे सरकारी विद्‌यालयों में मध्याह्न भोजन योजना, गरीबों के लिए रू. 2 प्रति किलो चावल की बिक्री तथा मद्‌य निषेध आदि। इन्हीं प्रसिद्‌धियों से 1982 के चुनाव में TDP जीत गयी। किसी प्रकार 1984 में जब वे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शल्य चिकित्सा के लिए गये थे तब राज्यपाल ने उन्हें गुप्त रूप से पदमुक्त कर दिया। राज्यपाल ने TDP से पराजित कांग्रेस सदस्य N भास्कर राव को नियुक्त किया। वापस लौटने पर NTR ने राज्यपाल के कार्यों को चुनौती दी और प्रमाणित किया कि उन्हें कई MLA का सहयोग प्राप्त है। एक मास पश्चात केन्द्रीय सरकार ने नए राज्यपाल को नियुक्त किया जिसने फिर से NTR को आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री पद पर नियुक्त किया। स्वतन्त्रता से पदमुक्त संघर्ष में कई राजकीय दल जैसे CPI(M),DMK,SAD, और अन्य के साथ राष्ट्रीय सभा ने NTR को सहयोग दिया।

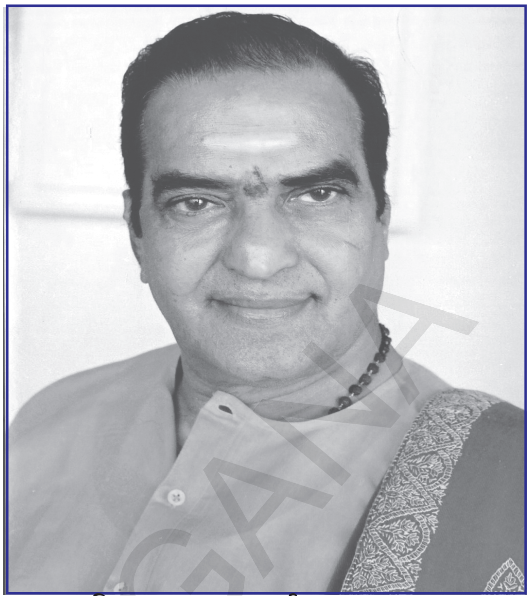

चित्र 18.3 : एन.टी.रामाराव

- NTR की राजनीति में निम्न कारणों के महत्व पर चर्चा कीजिए :-
  1) अभिनेता के रुप में पृष्ठ भूमि
  2) राज्य के आत्म गौरव के लिए संघर्ष
  3) निधीनो के लिए प्रसिद्ध कल्याण कारी योजनाएँ।
  4) अन्य क्षेत्रीय दलों से समझौता

असम (असोम) आंदोलन :-

असोम में भी समान रूप से स्वशासन का अधिकार पाने की शक्तिशाली माँग थी। आसाम में आसामी के अतिरिक्त बंगाली भाषा भी बोलते थे। अंग्रेजों के काल से ही बंगालियों ने राज्य के प्रशासन में निम्न या माध्यमिक पात्रता निभाई। आसामियों को लगने लगा कि बंगाली अधिकारी उनके साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक मानते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात कई बंगाली भाषी भी असोम में बस गए थे तथा बांग्लादेश की सीमा से आये लोगों ने इस परिस्थिति को और असहनीय बना दिया। जब कभी कोई राजनैतिक

अव्यवस्था हो जाती थी या प्राकृतिक आपदा हो जाती थी तो हजारों लोग राज्य में प्रवेश कर स्थानीय लोगों के लिए अशांति निर्मित करते। स्थानीय लोगों को ऐसा लगने लगा कि वे अपनी सांस्कृतिक जड़े खो रहे हैं और तुरन्त ही ''बाहरी लोगो'' से बाह्य गणना में आ जाएंगे।

1970 के अंतिम चरण में अप्रसन्नता की सामान्य अनुभूति ने सामाजिक आंदोलन का रूप लिया। इस विद्रोह के अग्रगण्य बने ''दि आल असम स्टुड़ेन्ट युनियन''(AASU)। यह संस्था सारे राज्य में फैल गई और विशेषकर युवाओं में अधिक प्रसिद्ध हुई। इसने कई हड़तालें, विद्रोह तथा मोर्चो द्वारा केंद्रीय सरकार को अपनी माँगों से अवगत कराना चाहा। मुख्य रूप से बाहय लोगों को राज्य से निकालने की माँग की।

संस्कृति एवं प्रदर्शन के अतिरिक्त आर्थिक दृष्टिकोण भी था। व्यापार और अन्य संस्थाएँ भी गैर-आसामी समाज के अधीन थी। राज्य के प्रमुख स्त्रोत चाय, तेल आदि का लाभ भी स्थानीय लोगों को नहीं मिलता था। मुख्य रूप से कोलकत्ता में चाय के कारखाने थे। सार्वजनिक क्षेत्रों में होने के बावजूद भी तेल के कारखानों में कुछ स्थानीय लोग ही संलग्न थे। तेल को शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए दूसरे राज्य भेजा जाता था। इन सब में सबसे अधिक आंदोलन के पीछे प्रमुख कारण यह था कि असम को ''आंतरिक उपनिवेश'' माना जा रहा है जिसका अंत होना चाहिए। इनकी प्रमुख माँग थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार में अधिकता दी जानी चाहिए, बाहरी लोगों को निकालना तथा प्राकृतिक संसाधनों से स्थानीय लोगों को लाभ प्राप्त हो।

पड़ोसी देशों से आए मुसलमानों ने इन माँगों को सांप्रदायिकता की चरम सीमा पर पहुँचा दिया।आंदोलन उस समय अधिक भयानक बन गया जब आंदोलन में गैर बंगाली, गैर लेफ्ट(पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का शासन था।), गैर आसामी तथा गैर भारतीय को मिला लिया गया। आंदोलन मे हिंसा एवं विभाजन की अधिकता पर केंद्रीय सरकार ने तुरंत सूचना प्राप्त की। आंदोलन कर्ताओं तथा केंद्रीय सरकार के मध्य समझौते के पहले तीन वर्षो तक बातचीत चलती रही। 1984 में प्रधान मंत्री राजीव गाँधी के समक्ष केंद्रीय सरकार तथा AASU के बीच समझौता हस्ताक्षरित हुआ। पुनः व्यवस्था तथा असाधरण उदारता के लिए कांग्रेस सरकार ने राज्य में प्रवेश कर अवधि के भीतर चुनाव करवाए। चुनाव में ''असम गण परिषद'' (AGP-AASU का रूप) सत्ता में आया।

राजनैतिक परिवर्तन अधिक समय से उत्पन्न समस्याओं को दूर नहीं कर सका। जिससे आंदोलन उत्पन्न हुआ। बांगला देश की सीमा को बन्द नहीं किया जा सका। इसके पीछे कूटनीति तथा भौगोलिक कारण दोनों थे। (जलीय मार्ग एवं पर्वतीय क्षेत्र में प्रत्येक स्थान पर सीमा नहीं बाँधी जा सकती थी।)। प्राचीन बंगाली निवासी तथा नवीन स्थानांतरित या शरणार्थीयों में अंतर कर पाना कठिन हो गया। विशेष रूप से पहचान पत्र पर ज़ोर देने का नकारात्मक प्रभाव असोम के अन्य समुदायों जैसे बोडु, खासी, मिजो और करबीस पर पड़ा। उनमें से कई ने अधिकृत क्षेत्र की माँग की। वे एक साथ एकत्रित हो कर अपने क्षेत्र से अन्य समुदाय के लोगों

को भगाना चाहते थे। ''जातीय सफाया'' ने हिसांत्मक रूप ले लिया था अल्पसंख्यक बंजारा समुदाय को क्षेत्र से निकलने पर विवश किया, असोम के विभिन्न भागों में समूह में हत्यायें होने लगीं। सरकार भी एक समुदाय के हिंसात्मक कार्यों को रोकने की अपेक्षा उन्हें प्रेरणा देने लगी या दूसरे समुदाय को शस्त्र पहुँचाने लगी तथा इस प्रकार समस्या को हल करने की अपेक्षा तनाव को वैसे ही बने रहने दिया।

केंद्रीय सरकार ने तनाव को कम करने और शांति स्थापना के लिए सशस्त्र सैनिकों को क्षेत्र में फैला दिया। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में तीन कारणों से सैनिक भेजे गये-पहला-यह चीन, बर्मा(आज म्यांमार) तथा बांगलादेश देश की सीमाओं से जुड़ा है, दूसरा-उग्रवादी भारत से अलग होने की अक्सर माँग करते थे, तीसरा-उग्रवादियों की संख्या अधिक हो गई थी जो अल्पसंख्यक समुदाय के साध हिंसात्मक व्यवहार कर रहे थे। जैसे ही भारतीय सशस्त्र सेना इस समस्याप्रद स्थिति में उतरी तो नागरिक स्वतंत्रता में संदेह उत्पन्न हुआ और सेना को असामान्य अधिकार दिए गए थे। सरकार ने सोचा कि केवल इसी मार्ग से क्षेत्र में शांति लाई जा सकती है।

इस तरह बंगाली और आसामी के मध्य उत्पन्न समस्या से उन क्षेत्रों में अंतर्जातीय शत्रुता उत्पन्न हुई। जातीय पहचान तथा जातीय दृढ़ता के शीघ्र समाधान के लिए संकीर्ण विचारों की अपेक्षा उदारवादी उपागम की आवश्यकता थी।

- आप किन कारणो से यह सोचते हैं कि असम आंदोलन आंध्र प्रदेश में NTR के आंदोलन से समान या भिन्न था?
- निम्न विषयों पर अपनी कक्षा में वाद-विवाद का आयोजन कीजिए :-
  केवल एक ही समुदाय एक क्षेत्र में रहे तथा सभी ड़ाक और व्यापार, वाणिज्य केवल उसी समुदाय के लोगो के हाथ में रहे या भारत के सभी लोगो को किसी भी स्थान में घुम सकने,निवास करने अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो।
- क्या लोगों के स्वतंत्र आवागमन की खुली योजना अमीर और शक्तिशाली बाहरी लोगो को इस क्षेत्र में भूमि, संसाधन, खरीदने में सहायक होगी? और वहाँ के स्थानीय लोग बलहीन और गरीब बनायेगी?

पंजाब विद्रोह

भारत के पंजाब राज्य में भी अधिकार के लिए आंदोलन ने आकार लेना आरंभ किया। यहाँ भी भाषा एवं धर्म की विविधता की प्राधान्यता संचार का साधन बनी। यहाँ फिर से असंतोष का कारण राज्य को अनदेखा किया जाना था। उन्हें यह विश्वास था कि राज्य के गठन के समय राज्य को अनुचित सौदा करना पड़ा। शिकायत यह भी थी कि राज्य के योगदान को नज़र अंदाज किया जा रहा था। नई राजधानी जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्र प्रशासित थी, पंजाब को भाखरा-नांगल बाँध से अधिक पानी और सेना में अधिक सिक्खों की भर्ती की माँग की गयी।

1978 में अकाली दल ने केंद्र में जनता पार्टी के शासन में एक संशोधन पारित किया कि केंद्रीय सरकार इन्हें लागू करें। यह विशेष माँग की गई कि संविधान में संशोधन कर राज्य

SCERT TELANGANA

को अधिक अधिकार दिए जाए और अधिकारों के विकेन्द्रीकरण का आश्वासन दें। प्रस्ताव कहता है:-

''शिरोमणि अकाली दल ने जनता पार्टी से विभिन्न भाषा, सांस्कृतिक विभाग, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा लाखों विजातीय लोगों की जानकारी प्राप्त कर देश के अर्थपूर्ण संघीय सिद्धांतों के आधार पर संवैधानिक ढाँचे में परिवर्तन की माँग पर ध्यान दे कर देश की अनेकता में एकता की असुरक्षा को समाप्त करने की जानकारी रखी, ताकि अपने अधिकारों का उचित पालन कर बाद में वे भारतीय लोगों की उनके अपने क्षेत्र में प्रगति एवं समृद्धि के लिए उपयोगी भूमिका निभा सके।''

SAD तथा कांग्रेस के मध्य चुनाव प्रतियोगिता ने तुच्छ रूप ले लिया। 1980 में अकाली दल को पदमुक्त कर कांग्रेस के सत्ता पाने से वातावरण में यह भावना जोश लेने लगी कि सिक्खों के साथ भेदभाव किया गया है। कई घटनाओं की श्रृंखला बढ़ने लगी, सिक्ख एवं केंद्रीय सरकार के मध्य अंतर एवं अलगाव बढ़ने लगा। सैन्य (मिलिटेंट) सिक्खों के नेता भिंड्रावाले ने विभाजन की माँग की तथा सिक्खों के राज्य खालिस्तान बनाने की माँग रखी। यह राज्य में गंभीर उपद्रव का काल था। लड़ाकू सेना ने सभी सिक्खों तथा पंजाब के गैर-सिक्खों को रूढ़िपंथी जीवन जीने पर विवश किया। सांप्रदायिक रंग भी विवाद का कारण बना। गैर सिक्ख समुदाय के लोग साम्प्रदायिक आक्रमण का कारण बने। अंत में स्वर्ण मंदिर गैर सिक्खों के समूह के अधीन हुआ और सेना को हस्तक्षेप कर प्रांगण खाली करवाना पड़ा। इस क्रिया से सिक्खों के पावन मंदिर को अपराधी कार्य के रूप में देखा गया तथा अलगाव अधिक बढ़ गया।

चित्र 18.4 : 1970 और 1980 में भारत ने तकनीकी एवं सहकारिता में उपलब्धियाँ प्राप्त की, उपरोक्त श्री हरि कोटा में PSLV का प्रक्षेपण। अमूल सहकारी समिति तथा एच.एम.टी आदि।

1984 में इंदिरा गाँधी की हत्या के समय यह उभर कर बाहर आया। विशेषकर दिल्ली में हजारों सिक्खों पर हमला किया गया, हत्या की गई और उनकी संपतियाँ नष्ट कर दी गई। प्रशासन ने हिंसा को रोकने में बहुत ही कम कार्य किया।

राजीव गाँधी के प्रधान मंत्री बनने के बाद उन्होंने SAD के साथ बातचीत कर, SAD के अध्यक्ष संत लंगोवाल से समझौता किया। जबकि पंजाब में चुनाव का आयोजन किया गया और उसमें SAD को विजय मिली, शांति कुछ ही समय के लिए रही क्योंकि लड़ाकू सेना ने लंगोवाल की हत्या कर दी।

अप्रैल 1986 में अकाल तख्त की सभा में स्वतंत्र राज्य खालिस्तान की घोषणा की गई। स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ने वाले कई समूहों को, जिन्होंने सेना से समझौता कर लिया, और आंतकवादी क्रियाओं में व्यस्त हो गए। भारतीय सरकार ने इसका दावा किया कि उन समुहों को पाकिस्तानी सरकार सक्रीयता से सहयोग दे रही है। पंजाब में हिंसा एवं विवाद का युग रहा। इस बगावत के काल में लड़ाकू सिक्खों और पुलिस में तथा अन्य धार्मिक समूह में मतभेद देखा गया। जो भी इन लड़ाकू सिक्खों को समर्थन नहीं देते जैसे पत्रकार, राजनेता, कलाकार, सक्रीय कर्त्ता आदि को मार दिया जाता था। अव्यवस्थित आक्रमण व्यापक रूप से नागरिकों पर अचानक होने लगे जैसे- रेल को पटरी से उतार देना, पंजाब और दिल्ली के मध्य के भागों के बाजारों, होटलों तथा अन्य नागरिक क्षेत्रों में बम विस्फोट करना आदि। 1991 में ही लगभग हजारों लोग मारे गए। कट्टरपंथी व्यापक रूप से अपरहण करने लगे तथा अपने कार्यो के लिए धन लूटने लगे। इन सभी कारणों से वे सिक्खों व पंजाबी जनता से दूर होने लगे। कई वर्षो पश्चात पुलिस ने इन उग्रवादियों पर असरदार एकशन लिया और तेजी से लोगों की सहानुभूति उनकी ओर आकर्षित होने लगी, 1990 के अंत में पंजाब में शांति वापस लौटी।

चाहे पंजाब में सरकार ने कठोर कदम लड़ाकू सेना को दबाने के लिए उठाए, कई बार नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को भी भंग करना पड़ा। कई निरीक्षकों ने यह सोचा कि जब संविधान का नाश इन उग्रवादियों के कारण पतन के किनारे पर पहुँच चुका था, तो नागरिको के संवैधानिक अधिकारों को भंग करना कोई अनुचित कार्य नहीं था। न्यायमूर्ति भी इन कट्टर पंथियों के विरोध में फैसला सुनाने में ड़रते थे कि कहीं वे प्रतिहरण न ले लें। कुछ अन्य निरिक्षकों का मानना था कि इस प्रकार अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार राज्य द्वारा लिया जाना न्यायिक नहीं है और बाद में कहीं यह कार्य राजनीति अप्रजातांत्रिक आकार न ले ले।

- दिल्ली में 1984 में सिक्खों में ज्वलंत विवाद विभाजन एवं उग्रवाद में गैर-सिक्ख लूटेरे ने क्या भूमिका निभाई।
- पंजाब और आसाम आंदोलन में समानता और असमानता को बताइए। हमारी राजनीति व्यवस्था को उन्होंने किस प्रकार की चुनौती दी?
- सरकार ने जिस मार्ग से दोनों समस्याओं को झेला, क्या उसने अपनी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को दृढ़ बनाया या कमज़ोर किया?

SCERT TELANGANA

राजीव गाँधी काल में नवीन कदम

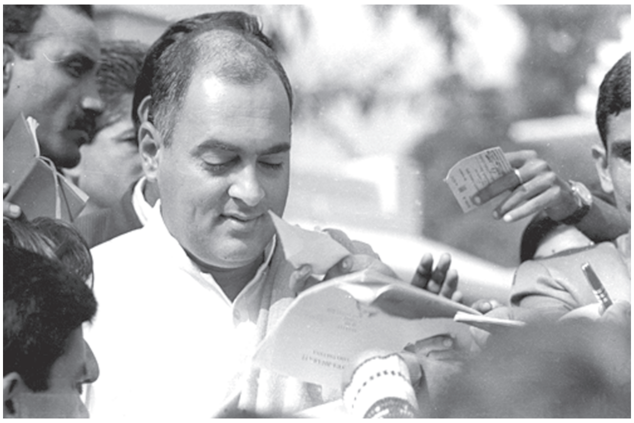

Fig 18.5 : राजीव गाँधी

चुनाव में राजीव गाँधी के अधीन कांग्रेस ने अपूर्व सफलता प्राप्त की। राजीव गाँधी ने पंजाब, असोम और मिज़ोरम तथा भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में शांति स्थापना को आरंभ किया। भारत में यौद्धा दलों (विभाजित तमिल और सिंहम सरकार) के बीच शांति स्थापना के लिए सेना भेजी, परंतु इसका विपरीत रूप सामने आया क्योंकि न तो तमिल और न ही श्रीलंका की सरकार ने इसे स्वीकार किया तथा 1989 में अंत सेना को छोड़ देना पड़ा।

राजीव गाँधी ने यह अनुभव किया कि देश की उन्नति में सारा ध्यान लगा देना चाहिए, लेकिन यह भी अधिक लाभदायी नहीं रहा। प्रसिद्ध भाषण में राजीव गाँधी ने कहा कि गरीबों पर खर्च किए जाने वाले प्रति एक रुपये में से केवल 15 पैसे उन्हें मिलते हैं। इस सत्य को अधिक उजागर किया गया कि गराबों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अधिक धन खर्च किया जा रहा है, परंतु गरीबों की दशा वैसी ही बनी हुई है। यह सच है कि जो अधिकतर गरीब हैं और गरीबी रेखा के नीचे हैं, महिलाएँ, दलित, बंजारे आदि निर्धन लोगों को प्रगति के फल नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि किए गए कार्यों में विशाल परिवर्तन की आवश्यकता है। राजीव गाँधी ने यह सोचा कि अधिक जन समूह का सरकार में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा ही यह उत्तम मार्ग है। लेकिन

Fig 18.6 : नई दिल्ली में दूर भाष्य केंद्र पर कार्यरत संचालक - 1950

- वर्तमान से पीछे की ओर देखिए आप के विचार में देश के लिए राजीव गाँधी का स्थाई योगदान क्या है?
- अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए कि गरीब लोगों को उनके लिए बनाई गई योजनाओं से लाभ क्यों नहीं मिलता। ऐसा कौनसे दीर्घकालीन कदम उठाना चाहिए जिससे गरीबों को उसका लाभ मिल सके?
- उन सभी लाभों की जानकारी प्राप्त कर सूची बनाइए जो आपका विद्यालय विद्यार्थियो के लिए लागू करता है। क्या वे उन्हें उचित रूप से दिलाने का प्रबंध कर सकते हैं? अपनी कक्षा तथा विद्यालय के बाहर, अपने घरों में या खेल के मैदान में इस पर चर्चा कीजिए।

कई ऐसे राज्य जो विरोधी दल से शासित थे, ने सोचा कि यह उन्हें कमज़ोर बनाने तथा उनके अधिकार कम करने का प्रयास है।

आर्थिक क्षेत्र में भी राजीव गाँधी ने विभिन्न कार्यों द्वारा इसे पाना चाहा। उनकी सरकार द्वारा 1985 में प्रस्तुत प्रथम बजट में उदारता दिखाई जिससे कई स्थानों पर से निरीक्षण एवं अंकुश को हटाया गया।

राजीव गाँधी भी इस बात से सहमत थे कि संसार में उभरने वाली नवीन तकनीकी को अपनाना चाहिए, विशेषकर कंप्यूटर और दूरभाष्य तकनीकी में। इन्होंने भारत में ''टेलीकाम रेवेल्युशन'' आरंभ किया, जो तीव्र वेग से फैलने लगा और सम्पूर्ण देश में सेटेलाईट तकनीकी के द्वारा दूर भाष्य संचार का जाल बिछ गया।

उच्च स्थानों पर सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार का उदय :-

विभाजन की भयानकता के बाद धर्म को सक्रिय एवं औपचारिक राजनैतिक क्षेत्र से दूर रखा गया। इस युग मे एक नवीन राजनैतिक संचार के उद्भव को देखा गया जिसमें सांप्रदायिकता दिखाई पड़ी।

राजनैतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का उपयोग एवं सरकार के विभाजन की भूमिका विनाशकारी घटनाओं की ओर बढ़ती है जो हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अनेकता में प्रश्न चिह्न लगाती है।

प्रधान मंत्री की क्षमा याचना

राज्य सभा में डॉ.मनमोहन सिंह का कथन

1984 की भयानक राष्ट्रीय दुर्घटना में चार हज़ार लोग मारे गए। यह एक आत्मनिरीक्षण का समय है किस प्रकार सब एक साथ मिलकर कार्य करें, जिससे हमारे देश में फिर से इस प्रकार की भयानक दुर्घटना न होने पाए, इस आश्वासन के लिए हम नए मार्ग दूँढ सकते है....मुझे केवल सिक्खों से ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय देश से क्षमा माँगने में लज्जा नहीं आती क्योंकि 1984 में जो घटा वह राष्ट्रवाद के लिए दोषी है और जो हमारे संविधान में स्वीकृत किया गया है। इसलिए मैं किसी झूठे सम्मान पर खड़ा नहीं हूँ। हमारी सरकार की ओर से, इस देश के लोगों की ओर से मैं शर्म से अपना सिर झुकाता हूँ कि ऐसी घटना घटी। लेकिन, श्रीमान, ज्वार में पतन तथा ज्वार में उफान देश के मामलों में आता रहता है। अतीत हमारे साथ है। हम अतीत को पुनः नहीं लिख सकते। लेकिन मानव होने के कारण, हमारे पास इच्छा शकित हैं और हममे योग्यता है कि हम सबके लिए अच्छा भविष्य लिख सकते हैं....... (pmindia.nic.in/RS% 20 speech.pdf) 11 2005.

- इस भाषण में सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है?
- इस भाषण से हमें क्या संकेत मिलता है?
- प्रधान मंत्री ने यह भाषण बनाया तो इसकी प्रमुखता क्या है?

1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानू के द्वारा दायर किये गये मुक़दमें का फैसला सुनाया। जिसके पति ने इसे तलाक दे दिया था। जीवन निर्वाह के लिए उसने अपने पूर्व पति से भुगतान की माँग की। प्रगतिवादी मुसलमानों ने निर्णय का स्वागत किया, दूसरों ने इस

निर्णय का विरोध यह कह कर किया कि यह इस्लामी कानून के विरोध में है और यदि इसे स्वीकारा जाएगा तो समाज के धार्मिक जीवन में आगे भी हस्तक्षेप किया जाएगा। महिला आंदोलन ने नेता तथा अन्य मुसलमान समाज में सुधार लाने वालों ने यह विवाद किया कि यह पति द्वारा तलाक दी जाने वाली मुस्लिम महिला के लिए अन्याय होगा। सरकार रुढ़िवादी विभाग के दबाव में आ गई और 1986 में एक नया कानून बनाया जिसने मुसलमानों को केवल तीन महीने के लिए अपनी तलाक शुदा पत्नी को जीवन निर्वाह की राशि देनी होगी। यह विशाल स्तर पर रुढ़िवादी धार्मिकता के समक्ष समझौता दिखाई देता है तथा समुदाय की महिलाओं की रूचि को अनदेखा करता है।

लगभग उसी समय हिंदुओं के कुछ भाग ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल पर भगवान राम का मंदिर बनाने का प्रचार किया। उन्होंने यह दावा किया कि वह स्थान राम की जन्म भूमि है और पहले के मन्दिर को तोड़ कर यह बनाई गई है। बाबरी मस्जिद के संरक्षकों ने इसे मानने से इन्कार किया और दावा किया कि यह मुसलमानों का प्रार्थना क्षेत्र है। यह कुछ समय के लिए मतभेद का कारण बना और न्यायालय ने आदेश दिया कि निर्णय न होने तक यह स्थान बंद रहेगा। यह केवल वर्ष में एक दिन खोला जाएगा। 1986 में न्यायालय ने आदेश दिया कि मस्जिद सभी दिन खुली रहेगी और हिंदू भी दैनिक रूप से पूजा कर सकते हैं। यह विश्वास किया गया कि केंद्रीय सरकार ने इस निर्णय को समर्थन दिया है। मंदिर को खुला रखने से उन लोगों को सहायता मिली जो जन समूह को जमा कर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहते थे।

कई निरीक्षकों को लगने लगा कि वे स्थापित राजनैतिक दल लोगों में अपनी प्रसिद्धि खो रहे हैं। गैर राजनैतिक नेतृत्व के अधीन कई प्रसिद्ध आन्दोलन विभिन्न विषयों पर उभरने लगे। बड़े किसान जो बाजार के लिए उत्पादन करते थे, कृषि उत्पादों के लिए उचित कीमत पाने के लिए लड़ने लगे और ड़ीजल, खाद और विद्युत के लिए सबसीड़ी की माँग करने लगे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों ने महेन्द्र सिंह तीकैत के नेतृत्व में विद्रोह किया। शरद जोशी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के किसानों ने विद्रोह किया। आदिवासियों और किसानों ने कई प्रांतीय आंदोलन चलाए जिसमें प्रगतिकारी बाँध एवं खदानों के निर्माण के लिए किये गये स्थानांतरण के विरोध में आंदोलन चलाया गया। कई निरीक्षकों को लगने लगा कि राष्ट्रीय राजनैतिक दल हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं की इच्छा पूर्ति कर ही चुनाव में उनकी सहायता ले सकेंगे। किसी भी तरह से इसने भारतीय धर्म निरपेक्षता की भावना अंबर को कमज़ोर बना दिया और इन वर्षो में सांप्रदायिक राजनीति के उदय के लिए मार्ग बना दिया।

लगभग इसी समय कई नेताओं पर यह आरोप लगा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वे स्वीडन निर्माताओं से भारतीय सेना को बन्दूकें वितरण करने पर रिशवत लेते हैं। जबकि यह आरोप स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं हो सका, पूर्व सांसदों जैसे V.P.सिंग आदि ने इसका प्रचार ज़ोर शोर से किया। प्रशासन एवं राजनैतिक परिधि में भ्रष्टाचार का विषय गैर कांग्रेसी राजनैतिक दलों के लिए 1989 के चुनाव के लिए प्रचार का प्रमुख आधार बन गया। एक बार सभी गैर

कांग्रेसी पार्टियाँ आपसी मतभेद को त्यागकर एक जुट हो गई, कांग्रेस की सफलता में समस्याएँ उत्पन्न होने लगी। कांग्रेस सबसे अधिक सीटों पर विजयी हुई परंतु अकेले सरकार का गठन करने के लिए पर्याप्त सीटें नही थी। पहली बार V.P. सिंह ने जनता दल की संयुक्त सरकार का गठन किया।

मिलीजुली राजनीति का युग :-

पूर्वकालीन स्वतंत्र भारत में 1990 के वर्ष, विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन के वर्ष थे। प्रतियोगी बहु-दलीय व्यवस्था के स्थानांतरण से, एक दल के लिए बहुमत में सीटें पाना असंभव हो गया। 1989 से सभी सरकारें जो राष्ट्रीय स्तर की थी वह या तो किसी से जुड़ जाती और या अल्पसंख्यक सरकार बन जाती। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल मिलकर सरकार का गठन कर सकती थी। इसका यह अर्थ हुआ कि कई पार्टियों को राजनैतिक विचारधारा एवं कार्यक्रमों को स्थान देना पड़ा तथा एक सामान्य समझौता करना पड़ता था। इस तरह कोई भी दल अपने चरम कार्यसूची से चिपका नहीं रह सकता था और अपनी पहुँच को ठीक करना पड़ता था। यह केंद्र सरकार के लिए राजनीति में विभिन्न विषयों के विचारों और योजना के विषय पर भावुक बन सकती थी, यह अस्थिर समर्थन दे सकती थी। छोटी-छोटी पार्टियाँ भी इसका गलत फायदा उठाने लगी क्योंकि यदि वे सरकार को समर्थन न देने पर सरकार गिर सकती है। कभी-कभी यह ''लकवा ग्रस्त योजना'' बन जाती, जैसे कि साझेदारी के कारण कोई भी पार्टी उचित योजना को गंभीर परिवर्तन के लिए भी लागू नहीं कर सकती थी क्योंकि इससे उसे अपने अन्य भागीदार का समर्थन नहीं मिलेगा।

चित्र *18.7 : वी.पी.सिंग*

आरंभिक साझेदारी सरकार अस्थिर रही तथा अपनी पूर्ण अवधि तक कार्य नहीं कर सकती थी, बाद में साझेदारी ने बहुभागी संबद्ध का स्थान ले लिया जैसे सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम तथा समझौतावादी कमिटि को लाया गया जिससे भागीदारों में आपसी समझ उत्पन्न हो सके। बाद में BJP ने नेश्नल डेमोक्रेटिक अलाएंस तथा कांग्रेस में युनाइटेड प्रोग्रेसीव अलाइंस ने अपना समय पूरा किया। VPA एक ऐसी साझेदारी सरकार थी जिसे दुबारा चुना गया।

- कुछ लोग सोचते हैं कि साझेदारी ने सरकार को दुर्बल बना दिया है तो कुछ सोचते हैं कि इसने देश में किसी एक दल के वाष्पचक्रीय कार्यक्रमों से उसे रोका। उदाहरण के साथ इस पर चर्चा कीजिए।

पश्चिम बंगाल में ''वाम पंथी सरकार'' (Left Front Government)

वाम विभाग में राजनैतिक दल जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) फारवर्ड ब्लाक, रेवेलेशनरी सामाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्कसवादी (CPM) ने 1977 में पश्चिम बंगाल में चुनाव में जीत प्राप्त की और CPM के ज्योति बासु के नेतृत्व में वाम पंथी सरकार की रचना की। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कि राज्य में भू-सुधार के अधूरे कार्यों को पूरा

करना था। 1978 जून में पश्चिम बंगाल की सरकार ने आपरेशन बरगा (Barga) आरंभ किया जिसमें उन कृषक भागीदारों (बरगादर वे थे जो जिमींदारो की जमीन पर खेती करते थे और अपने उत्पाद के अधिक भाग किराए के रूप में देते थे।), जो अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल की अधिकांश जनता में अग्रगण्य बन गए थे और आपरेशन बरगा सामूहिक क्रियाओं पर आधारित थी जो शेयर क्रापर(कृषक भागीदारों) तथा पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित थी। इससे भ्रष्टाचारी विलंब को रोकना तथा भूपति विभाग की प्रधानता को कम करना था। अधिकारियों ने गाँवों में शिविर (कैम्प) लगाए जिसमें कई दाबेदार आकर अपने विषयों पर चर्चा करते थे। इसके तुरंत बाद ही दावेदारों के नामों की सूची बढ़ने लगी तथा जमींदारों की उपस्थिति में उसकी जाँच की जाती। स्थान पर बरगादार का नाम दर्ज किया जाता तथा सभी कानूनी दस्तावेज दिए जाते तथा तुरंत वितरित किए जाते।

आपरेशन बरगा के परिणाम स्वरूप जमींदारों पर बरगा को विवश करने तथा भूमि से निकाल देने पर रोक लग गई। वास्तव में बरगादार के अधिकार वंश परंपरा से जुड़े थे और सनातन बन गए। दूसरे, राज्य ने यह गारंटी दी कि बरगादार को उनकी फसल का उचित अंश मिलेगा (75% यदि बरगादार गैर-परिश्रामिक तौर पर लगाता है तो जमींदार 50% लगाएगा।) सभी में लगभग पश्चिम बंगाल के आधे ग्रामीण घरेलू लोगों को भू सुधार से लाभ मिला।

इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल में कृषि उत्पादन में 30% प्रगति हुई तथा ग्रामीण दरिद्रता में कमी आयी। किसी भी तरह कई निंदक यह सोचने लगे कि पश्चिम बंगाल के अभी भी अधिक शेयर धारक (70%) का नाम रजिस्टर नहीं हुआ है तथा इस आंशिक स्तर पर लागू किए जाने पर एक नए वर्ग ग्रामीण धनी वर्ग का विकास हुआ।

- पश्चिम बंगाल के भू सुधार तथा वियतनाम या चीन के भू सुधार की तुलना कीजिए। किस रूप में वे समान व असमान हैं?
- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कृषक भागीदारों की सुरक्षा से उत्पादन में वृद्धि हुई?

कम या अधिक आपरेशन बरगा तथा पंचायत राज को लागू करने से वाम पंथ को ग्रामीण जनता का सहयोग मिला तथा 2006 तक बार-बार चुनाव में सफलता मिली। यह एक मार्ग था जिससे राज्य के लोगों की आवश्यकता प्रजातांत्रिक आधार पर सूचित की गई।

1980 से साझेदारी सरकार तथा कुछ राजनैतिक दल

नेशनल फ्रंट 1989-1990	युनाइटेड फ्रंट 1996-1998	नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइन्स 1998-2004
सत्ता दल	सत्ता दल	सत्ता दल
JD,DMK,AGP, TDP: जम्मू काश्मीर नेशनल कांग्रेस (JKNC)	JKNC ; TDP; TMC; CPI; AGP; DMK; MGP; समाजवादी पार्टी	JDU; SAD; AIADMK, JKNC; तृणमूल कांग्रेस; बिजु जनता दल; शिव सेना ;
सहयोगी दल	सहयोगी दल	सहयोगी दल
CPM; CPI, BJP	CPM	TDP

This is not a complete list of political parties that either supported for were part of the government. Often we have listed only those parties that had more 5 or MPs

SCERT TELANGANA

20 वीं शताब्दी के अंतिम काल में राजनैतिक संबंध

राजनीति में परिवर्तन ने विशेष रूप से उन्नति पायी। एक तरफ भारत को मार्ग खोलने पर विवश किया और अपनी आर्थिकता को विदेशी वस्तुओं एवं पूँजी के मुक्त बहाव द्वारा ''उदारवादी'' बनाया। दूसरी तरफ पहली बार नवीन समाजवादी समूह एकत्रित होने लगे, और अंत में धार्मिक राष्ट्रीयता तथा सांप्रदायिक राजनैतिक संसार हमारे राजनैतिक जीवन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ बनें। इन सभी ने भारतीय समाज को महान उपद्रव में ड़ाल दिया। हम अभी भी परिवर्तन की पकड़ में आ रहे हैं तथा स्वयं को उसके अनुसार ढ़ाल रहे हैं।

संवैधानिक सुविधाओं में विस्तार:-

जनता दल ने प्रगति की आवश्यकता पर बल दिया और पिछड़ी जाति के लोगों को अवसर का आश्वासन दिया। नेशनल फ्रंट सरकार ने मंड़ल कमीशन की रिर्पोट को पुनः जीवित किया जिसमें अन्य पिछड़ी जाति (OBC) के सरकारी रोजगार में आरक्षण तथा शैक्षणिक सुविधाओं के लिए सिफारिश की गई थी। V.P.सिंह की सरकार ने कमीशन के द्वारा पहचानी गयी, व सिफारिश की गयी सामाजिक व शिक्षा में पिछड़े जाति के लिए सरकारी रोज़गार में 27% आरक्षण की घोषणा की। उत्तर भारत में इसके लिए कई आंदोलन की चिन्गारियाँ भडकने लगी। दक्षिण भारत में पहले से ही OBC के लिए सीटें आरक्षित थी। V.P.सिंह सरकार के समर्थन में कई राजनैतिक दल नही ंथे, परन्तु इसका विरोध भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं वे अप्रसिद्ध न हो जाए। पिछले दो दशकों में OBC की कई जातियाँ धनी बन गई थी और अपनी पहचान बना चुकी थी। भू-सुधारों एवं हरित क्रांति से वे वास्तव में लाभांवित भी हुए थे, परंतु शिक्षा, सरकारी सेवा तथा राजनीति में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। वे अपने क्षेत्र में अपने अंश की माँग करने लगे। V.P.सिंग ने मंडल कमीशन की सिफारिश से इन माँगों को प्रस्तुत किया? इसीलिए सभी राजनैतिक दलों ने OBC की निश्चित घोषणा को भारतीय राजनीति में स्वीकार किया। जाति के विषय में भारतीय राजनीति सामान्यतः अधिक भावुक बन गई और निम्न जातियों को इन समस्याओं का सामना करना पडा। बहुजन समाज पार्टी जैसी कई अन्य पार्टियों ने

पंचायत राज और 73 वाँ, 74 वाँ संशोधन

1992 में पि.वि.नरसिंहा राव ने सरकार में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक स्तर पर स्थानीय स्वशासन सरकार के लागू किए जाने के लिए संविधान में संशोधन पारित किया। 73 वाँ संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना ग्रामीण स्तर पर की गई जबकि 74 वाँ संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर और शहर स्तर पर वही कार्य किया गया। ये संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बार व्यस्क मताधिकार के आधार पर कार्यालय अधिकारियों का स्थानीय स्तर पर चयन किया गया। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई। जन जाति तथा गिरिजन के लिए भी सीटें आरक्षित रखी गई। राज्य सरकार से संबंधित कार्यों को चुना गया और यह राज्य पर छोड़ा गया कि वह स्थानीय स्वशासन सरकार को कैसे अधिकार प्रदान करती हैं। उसी प्रकार स्थानीय स्वशासन सरकार के अधिकार भी पूरे देश में अलग-अलग है।

SCERT TELANGANA

दलित की रूचियों का दावा किया तथा कई क्षेत्रीय दलों ने यादव, जाट जैसे भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण बनने वाली जातियों के उद्‌भव को प्रस्तुत किया।

धर्म एवं राजनीति का उपयोग

यह हमारी राजनैतिक प्रथा है कि हमारे देश को हम बहुसंख्यक धर्म पर आधारित जनसंख्या के अनुसार बनाना चाहते थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी हिन्दुओं द्‌वारा चलाई गई है। यह पार्टी सोचती हैं कि प्रजातंत्र एवं धर्म निरपेक्षता पश्चिमी विचार हैं और पर्याप्त नहीं है तथा हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति पर देश को आकार देना चाहिए। BJP ने ईश्वर द्‌वारा भेजे गए दूत धार्मिक पुजारी के शासन का विरोध किया। BJP ने धर्मनिरपेक्षता के स्वभाव पर विवाद रखा कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अल्पसंख्यकों के साथ विशेष व्यवहार न करें।

1980 तक भारतीय राजनीति में यह प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर प्रचलित रही। उदाहरण के लिए 1984 लोक सभा चुनाव में केवल उन्हें 2 सीटें प्राप्त हुई। किसी भी प्रकार BJP ने अयोध्या विषय में अति उतावलापन दिखाया, मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने का प्रचार किया तथा दावा किया कि वह राम जन्मभूमि है। इन्हीं माँगों को सहायता देने के लिए 1990 में BJP के नेता एल.के.अड़वानी ने सोमनाथ से अयोध्या तक ''रथ यात्रा'' आयोजित की। प्रचार के समय BJP ने यह विवाद प्रस्तुत किया कि सरकार की धर्म निरपेक्ष राजनीति बहुसंख्यक हिंदुओं की रूचि को अनदेखा कर केवल अल्पसंख्यक समुदायों को शांत करने में जुटी है, विशेषकर मुसलमानों को यह प्रचार कई सांप्रदायिक विवादों के कारण गंभीर सांप्रदायिक ध्रुवीयकरण का कारण बना और बिहार में एल.के. अड़वानी को बंदी बनाया जाने के साथ इसका अंत हुआ। BJP ने बंदी बनाए जाने के विरोध में V.P. सिंह की सरकार को सहयोग देना बंद कर दिया और जल्दी चुनाव की माँग की।

इस चुनाव प्रचार के समय LTTE श्रीलंका के एक विभाजित तमिल समूह ने राजीव गाँधी की हत्या कर दी। क्योंकि राजीव गाँधी ने भारतीय सेना को श्रीलंका भेजा था इसी के बदले में यह घटना घटी। इसी सहानुभूति के कारण केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस सत्ता में आई, परंतु लोक सभा में 120 सीटें प्राप्त कर ऊँचाई को छुआ। 1992 में एक विशाल जन समूह अयोध्या में मंदिर के प्रचार के लिए एकत्रित हुआ और मस्जिद को तोड़ दिया। यह घटना विद्रोह की चिंगारी बन कर विस्तार से फैल गई और कई सांप्रदायिक दंगे हुये जिसमें हज़ारों लोग मारे गए।

आर्थिक उदारता :-

1991 में जब V.P.सिंह की सरकार गिरी तब देश में गंभीर आर्थिक संकट का समय था। विदेशी पूँजी की सुरक्षा से इसने अपने ऋण चुकाए तथा आयात का भुगतान किया जो बहुत अधिक बढ़ गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत विदेशों को भुगतान करने में असमर्थ था यदि उसे जल्दी से ऋण न मिलता तो 1992 में जब पी.वि.नरसिंहा राव के अधीन नई कांग्रेस बनी उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इस संकट से निपटने के लिए ऋण प्राप्त करने

का समझौता किया। IMF ने कई कठोर शर्ते रखीं (संरचनात्मक समझौता कार्यक्रम कहलाया।) और भारत को उदारवाद के लिए विवश किया। इसका अर्थ है :-

a) सरकारी व्यय में तीव्र कमी :- किसानों को सहायता मूल्य को मिला कर, जन सेवा, स्वास्थ्य आदि पर व्यय में कटौती।
b) विदेशी आयात वस्तुओं पर कर और प्रतिबंध में कमी।
c) भारत में विदेशी पूँजी नियोजन के प्रतिबंध को कम करना।
d) आर्थिक क्षेत्र में कई विभाग (जैसे टेलीफोन, बेंकिंग, एयरलाइंस, आदि) निजी पूँजी निवेशकों के लिए खोले (जो पहले सरकारी एकाधिकार में थे)

चित्र *18.8 : पी.वी.नरसिंहा राव*

ये मापदण्ड विदेशी वस्तुओं में लाये गए तथा भारत को विवश किया कि वह विश्व स्तरीय प्रतियोगी बने। इसके कारण कई उद्‌योग एवं व्यापार विदेशी कंपनियों द्‌वारा भारत में स्थापित किए गए। किसी भी तरह से आम व्यक्ति को सरकार द्‌वारा सहायता काट दिए जाने पर समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा विदेशी सस्ती आयातित वस्तुओं के कारण कई कारखाने बंद हो गए। इस प्रकार कई जन सुविधाएँ जैसे शिक्षा स्वास्थ्य और परिवहन निजीकरण का कारण बनीऔर लोगों को इन निजी सेवा कर्त्ता को अधिक दाम देने पड़े।'

20 वीं शताब्दी का भारत में अंत तब हुआ जब वह विश्व बाजार में पहुँचा, समृद्‌ध प्रजातंत्र में जनता के विभिन्न वर्ग समूह बन गए थे। उन्होंने आवाज उठाई तथा विभाजन एवं सांप्रदायिक राजनीति संचार ने शान्ति भंग करने का भय दिखाया। पचास वर्षो पश्चात् भी यह परीक्षा का समय बना रहा तथा सापेक्षित स्थिर आर्थिकता का निर्माण किया और प्रजातांत्रिक राजनीति की जड़ें गहरी होने लगी। यह अब तक निर्धनता की समस्या को हल नहीं कर पाई तथा जाति, समुदाय, क्षेत्र और लिंग में संपूर्ण असमानता बनी रही। स्वतंत्रता के 50 वर्षो पश्चात भी 21वीं सदी के भारत के लिए यह धरोहर छोड़ी गयी थी।

चित्र 18.9 :हेच.डी.देवे गौडा

चित्र 18.10 : अटल बिहारी वाजपेयी

उपसंहार :-

हमने देखा कि भारतीय प्रजातंत्र ने अनेक चुनौतियों का सामना योग्यता से किया और स्वयं को शक्तिशाली बनाया। कई सूचकों में भारतीय प्रजातंत्र सफल रहा, निशुल्क स्पष्ट और नियमित चुनाव, मतदाता संख्या में विकास, सरकारी उत्पादों में विकास,नए समूहों का शक्तिशाली बनना तथा आवश्यक नागरिक स्वतंत्रता का रख रखाव आदि। शताब्दी के पश्चात

SCERT TELANGANA

भी भारतीय प्रजातंत्र से कई प्रश्न किए जा सकते हैं। लगातार भारत अपनी विशाल संख्या के नागरिकों की उचित देखभाल करने में सक्षम क्यों नहीं है? कैसे भारत प्रगति प्रक्रिया में उत्पन्न विरोधी माँग और तनाव का कम कर सकेगा?क्यों प्रजातंत्र भारत की सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करने में सक्षम नहीं रहा?

आने वाले वर्षों में भारतीय प्रजातंत्र को यह प्रश्न पकड़े रहेंगे। क्या आप सोचते हैं कि भारत इन सबका सामना करने में योग्य होगा?

मुख्य शब्द

क्षेत्रीय लालसा मिलीजुली सरकार साम्प्रदायिकता बहुमत अल्प संख्यक

अपनी सीखने की क्षमता सुधारें

1. जोड़ियाँ बनाइए :- (AS_1)

(i) आर्थिक उदारता	(a) विदेशी आयात कर पर रोक
(ii) स्वेच्छाचारी पदमुक्ति	(b) केंद्रीय सरकार से प्रांतीय सरकार का
(iii) जातीय सफाया	(c) उन लोगों के लिए जो स्वयं से भिन्न हैं।
(iv) संघीय सिद्धांत	(d) प्रांतीय सरकार के लिए महान स्वायत्तता

2. स्वतंत्रता के दूसरे चरण में पार्टी व्यवस्था में मुख्य परिवर्तन की जानकारी का पता लगाइए। (AS_1)
3. इसमें तथा पिछले अध्याय में केन्द्रीय स्तरतथा प्रांतीय स्तर पर विभिन्न सरकारें की कौनसी प्रमुख आर्थिक योजनाओं की चर्चा की गयी है। वे किस प्रकार समान और असमान है? (AS_1)
4. क्षेत्रीय लालसा कैसे क्षेत्रीय दल की स्थापना का कारण बनी? दो विभिन्न चरणों में समानता एवं असमानता की तुलना कीजिए? (AS_1)
5. सरकार बनाने के लिए राजनैतिक दलों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे समाज के विभिन्न वर्गों को आकर्षित करें। स्वतंत्रता के पश्चात दूसरे चरण में किस प्रकार राजनैतिक दलों ने इन विशेषताओं को उभारा(AS_1)
6. भारतीय राजनीति को कमज़ोर बनाने वाली कौनसी प्रगति थी? विभिन्न समुदायों तथा क्षेत्रीय लालसा को किस योग्यता से बदला जा सकता था? (AS_1)
7. विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय लालसा सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोणों से कैसे भिन्न थी? (AS_1)
8. स्वतंत्रता के आरंभिक अर्ध-शतक में भारत में योजनाबद्ध उन्नति को महत्व दिया गया। बाद के काल में उदारवाद पर जोर दिया गया। चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि यह किस प्रकारराजनैतिक विचारों पर प्रभाव डालता है? (AS_1)
9. मिलीजुली सरकार की आधुनिक योजनाओं का कम से कम एक उदाहरण समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ पढ़कर पहचानिए और बताइए कैसे संयुक्त सरकार के कारण योजनाओं में परिवर्तन आये और किस प्रकार संयुक्त सरकार के अंतर्गत विभिन्न राजनैतिक दलों ने क्षेत्रीय माँगों पर बल दिया? (AS_3)
10. हमारे देश के प्रधान मंत्रियों के चित्र संग्रह करके, उन सब की विशेषताएँ बताते हुए एक अलबम तैयार कीजिए।(AS_3)
11. पृष्ठ संख्या 262 में आंध्र प्रदेश शीर्षक के निचले ''एकीकृत आंध्र प्रदेश में मुख्य मंत्रियों को .... रूप में न माना जाए'' तक पढ़कर, इस पर टिप्पणी कीजिए। (AS_2)
12. 'दूर संचार क्रांति' द्वारा आये बदलाव, प्रस्तुत मानव जीवन शैली पर कैसा प्रभाव डाल रहे है? (AS_4)

चर्चा : तीव्रवाद, उग्रवाद का सामना करना क्या सरकार का दायित्व है या समाज का? इस पर तर्क कीजिए। इसका प्रभाव मानव जीवन पर कैसा है? अनुभवों की चर्चा कीजिए।

SCERT TELANGANA

अध्याय 19

युद्धोत्तर विश्व और भारत
(Post - War World and India)

द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव (Aftermath of the World War II)

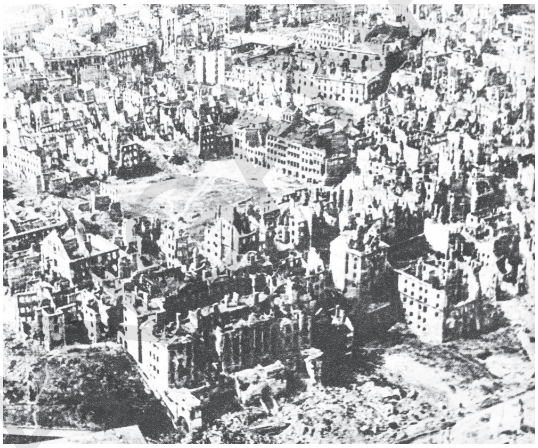

चित्र 19.1 : युद्ध के पश्चात् वार्सा शहर का दृश्य जिसकी 85% इमारतें नष्ट हो गयी थी।

द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव विभिन्न देशों पर विभिन्न प्रकार का था। अत्यधिक प्रभावग्रस्त यूरोपीय देश थे, मुख्य रूप से यू.एस.एस.आर, पोलैण्ड और यूगोस्लाविया प्रभावित थे जिनकी 20% जनसंख्या की क्षति हुई थी। अर्थव्यवस्था में भी यू.एस.एस.आर. और अन्य यूरोपीयन देशों में बड़ी मात्रा में नगरों, फैक्टरियों और खानों का विनाश हुआ। यू.एस.एस.आर के लगभग 1700 नगर, 31,000 फैक्टरियाँ और 70,000 गाँव पूर्ण रूप से नष्ट हो गये। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका को कम नुकसान हुआ क्योंकि उसके क्षेत्रों में युद्ध नहीं हुआ था। बल्कि बड़ी मंदी के समय में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में सहायता मिली। युद्ध स्थल से दूर सं.रा.अ. के उद्योग और कृषि विकसित हुए। इसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध के समय सं.रा.अ. में पूर्ण रोजगार और उच्च उत्पादकता निश्चित हुई। मार्च 1945 में सं. रा के राष्ट्रपति हारी ट्रूमैन ने कहा - ''इस युद्ध से हम संसार के शक्तिशाली देश के रूप में उन्नत हुए - वास्तव में, पूरे इतिहास में, सबसे शक्तिशाली देश।

युद्ध में क्षतिग्रस्त देशों के पुनः निर्माण के बावजूद, कई स्थानों पर संसार ने नई प्रक्रिया देखी। इनमें से तीन मुख्य प्रक्रियाएँ, सं.रा. की स्थापना, शीत युद्ध और उपनिवेशों को स्वतंत्र करना था। नाज़ी के तानाशाही और साम्राज्यवाद के उपायों के विपरीत द्वितीय विश्व युद्ध शांति, प्रजातंत्र और देशों को स्वतंत्र कराने के लिए सिद्धांतों पर लड़ा गया। इसके लिए प्रथम कार्य एक विश्व संगठन स्थापित करना था जो सभी देशों में शांति और विकास स्थापित कर सके। इसके फलस्वरूप स.रा.अ. की स्थापना हुई। ब्रिटेन और फ्रांस जैसी उपनिवेशी शक्तियाँ अपनी पुरानी उपनिवेशी नीतियों का समर्थन नहीं कर सकी। इन्होंने स.रा.अ. को राजनैतिक और आर्थिक दोनों रूप से कमज़ोर बना दिया जो उनपर पुरानी उपनिवेशी नीतियों को समाप्त करने के लिए दबाव डाल रही थी। और जो उपनिवेशों को पुरानी उपनिवेशी शक्तियाँ प्रदान कर रही थी। यू.एस.एस.आर. उपनिवेश विरोध संघर्ष में चैंपीयन के रूप में प्रकट हुआ जो कई स्थानों पर यू.एस.एस.आर. के द्वारा प्रोत्साहित कम्यूनिष्ट पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा था। इस परिस्थितियों में ब्रिटेन जैसी पुरानी शक्तियों के पास इन पुराने उपनिवेशों को स्वतंत्रता